Dadasaheb Phalke Award to Shri Shyam Benegal

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it is a matter of great pride to mention that our hon. Member, Shri Shyam Benegal has been awarded the Dadasaheb Phalke Award and we all congratulate him.

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): महोदय, शून्यकाल तो समाप्त हो गया, लेकिन एक चीज़ मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है...

उपसभापतिः वह आज डिसकस कर रहे हैं।

श्री मंगनी लाल मंडलः वह विभीषिका की नहीं, वहां गोलीकाड हुआ है, राहत के नाम पर! लोग मारे गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापतिः मंडल जी, आज वह विषय उठ रहा है, आप तब बात कीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): महोदय, मैंने शून्यकाल की सूचना दी थी।

उपसभापतिः आपका नोटिस नहीं है, please, Now, the Legislative Business. Bill to be withdrawn, Smt. Purandeswari.

GOVERNMENT BILL

The Private Universities (Establishment and Regulation) Bill, 1995

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESHWARI): Sir, I move for leave to withdraw the Private Universities (Establishment and Regulation) Bill, 1995.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI D. PURANDESWARI: I withdraw the Bill.

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2007

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR): Sir, I move:

> "That the Bill further to amend the Consitituion (Scheduled Castes) Order, 1950, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, as per the provisions of article 341 of the Constitution of India, the list of Scheduled Castes was first notified in 1950, which has been modified from time to time. A number of requests were received from the State Governments for modification in the list, involving inclusion of new communities, inclusion of synonymous communities, imposition of area restriction as also modifications in the existing entries. The requests were processed in accordance with the modalities approved by the Government on

15th June, 1999, as modified on 25th June, 2002, after consultation with the concerned State Governments, the Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Castes. The lists of Scheduled Castes in respective of 17 communities for the States of Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab and Chhattisgarh are proposed to be amended.

Accordingly, the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2006, for the amendments to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 was introduced in the Lok Sabha on 31st July, 2006. The proposed amendments in the said Bill broadly fall under the following categories: inclusion of new castes based on social, educational and economic backwardness; inclusion of synonymous communities in respect of a caste in the existing list, and modifications or imposition of area restriction in the existing entries.

The Bill seeks to achieve the above objectives. The Bill was referred to the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment for examination and report. The Committee examined the Constitution Amendment Bill, presented the 20th Report to Lok Sabha on 18.12.2006, and laid in Rajya Sabha the same day. The Committee agreed with the Bill in its entirety. The Bill has been passed by Lok Sabha on 14th May, 2007. In view of these facts the Bill may be considered and passed by Rajya Sabha.

The question was proposed.

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि (राजस्थान): धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं और जो विभिन्न प्रदेशों में अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़ा जा रहा है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। किन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश को आज़ाद हुए 60 वर्ष हो गए हैं और सन् 1950 में जितनी भी जातियां अनुसूचित जमति में थीं, उनके साथ भी न्याय नहीं हो रहा है। बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अनुसूचित जाति के वर्गों का तो और भी बुरा हाल है। वे लोग राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। गांवों में अनुसूचित जातियों की हालत यह है कि अब भी अन्य जातियों के लोग उनके साथ छुआछूत करते हैं और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज भी गांवों में यह स्थिति है कि अनुसूचित जाति के लोग शादी–ब्याह में घोड़ी पर नहीं बैठ सकते और अगर पुलिस के संरक्षण में बैठ भी जाते हैं तो शादी के बाद उनको प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद अगर वे पुलिस के संरक्षण के लिए जाते हैं तब भी उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता और वे दर–दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। न्यायालय में भी काफी वर्षों तक वे चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है – न्याय मिलने में भी विलम्ब होता है। आखिर में गवाह के अभाव में उनका केस ही खारिज हो जाता है क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि दो सवर्ण जाति के गवाह होने चाहिए, जो गवाही नहीं देते। इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर भी काफी गिरा हुआ है। अनुसूचित जाति के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं। उनको समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं हो पाती है। अभी भी राजस्थान में छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिली। हम एक तरफ उनको उठाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी सुविधाओं का ध्यान भी नही रखा जाता। इसी तरह सरकारी नौकरियों में भी उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। उनका बैकलॉग पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकार की ओर से केवल आश्वासन दिया जा रहा है और दूसरी ओर बैकलॉग को चुपचाप खत्म करके कहा यह जा रहा है कि बैकलॉग पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार इन जातियों के साथ छलावा किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नहीं लिया जा रहा। अभी राजस्थान में एक अनुसूचित जाति का विद्यार्थी आईआईटी में पूरे हिन्दुस्तान में 26वें रैंक पर आया है लेकिन उसका किसी भी आईआईटी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि कॉलेज में केपिटेशन फीस लाखों में मांगी जाती है जिसे देने में वह असमर्थ है। इस विद्यार्थी ने मुझे बताया कि पिछले दो वर्षों से कॉलेजों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार और सामाजिक न्याय मंत्री से निवेदन करता हूं कि अनुसूचित जाति के सभी वर्गों को बराबर राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक लाभ मिले और इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इस वर्ग का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

DR. RADHAKANT NAYAK (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. First of all, I congratulate the Hon. Minister for Social Justice and Empowerment who has brought this amendment. It is a long awaited amendment in certain cases, and in various other cases it was also unnecessarily delayed. Nevertheless the strong and effective steps taken by the Hon. Minister indicate that the Government is very serious about the welfare and development of the Scheduled Castes in this country. Mr. Deputy Chairman, Sir, I therefore, wholeheartedly support these amendments.

The amendments indicate that there are only a few, expansions or substitutions, some of them are only corrections and some of them are removal of anomalies. One or two additions are there. They involve seven States and in Orissa specifically, they are long awaited amendments that have now been made. The State of Orissa and the people of the Scheduled Castes of Orissa, as well of this country will be extremely grateful to the Hon. Minister. While wholeheartedly supporting this amendment, I propose to make one or two observations. Sir, you are aware that there is a lot of historical injustice, which has been perpetrated on the Scheduled Castes of this country. The deprivation, the extermination and even violence of genocidal proportions have been inflicted historically and some evidences are even now visible. Therefore, the reservations will not be the panacea for all evils but a large number of issues need to be tackled in order to bring these communities on par with the rest of the country's population. The basic issues in my view are more less these first the fundamental issue is discrimination which is eating into the vitals of the political, economic and even psychoanalytic situation of this population. Discrimination covers a plethora of fields, where they are being operationalised. These are religious, linguistic, cultural demographic, even spatial supported by ideologies and philosophies most of these ideologies and philosophies are mere sophistry.

Sir, now most of the discriminatory practices and attitudes are based on certain driving forces. Caste is one of the basic driving forces of discrimination which actually prohibits these people in terms of sharing resources, sharing power and participating in the administrative processes of the country. Therefore, it is time that casteism is abolished as racism was abolished under the United Nations system. There should be a law prohibiting casteistic practices and behaviour pattern with casteistic parameters. Other driving forces like religion, power, class and race also should be takle forthwith. Without handling these driving forces, most of the changes that are being brought about to ameliorate the conditions of the people are merely superficial. They are all based on cosmetic approaches and therefore, I would urge upon the Government to delve deeper into the various issues, which are gripping these communities.

Now, what are the signs of the discriminatory attitudes or practices that are being perpetrated on these people? One is prohibition or area restriction for being declared as sheduled castes that affects their mobility aspects, which are being prohibited, you are aware as in the case of tribes. We are afraid that that may also be spread into the *Dalits* or the Scheduled Castes. In certain States, tribes are being considered as tribes. But, they are not tribes in other States. This affects the fundamental freedom of movement which is enshrined in the Constitution of India. There are many other prohibitary situations which these people are being subjected to. They are prohibited from entering into temples and some of the into the so-called holy places. Such prohibitary attitude needs to be curbed quickly. Sir, you are aware that most of the discriminatory behaviour and attitudes, have social and religious sanctions. And most of them have also been systematised in a peculiar way. Physical extermination has been the easy way. Today, violence perpetrated against these communities in terms of untouchability and segregation is unimaginable. There are ample statistics brought out by the National Commission for Scheduled Castes itself. They show how every hour one dalit's house is burnt or raised to the ground, how a *Dalit* woman is raped everyday in this country and there are so many other kinds of violence that are being perpetrated. I don't need to reel out these statistics which are all published in the Reports brought out by the National Commission for Scheduled Castes. It is not only for the Government to take steps to make reservation for them in employment, but also reservation in various other areas, including in private and other sectors where these people are being prohibited and discriminated. And, Sir, institutionalisation of discrimination is also being systematically carried out. The economic discrimination is very, very apparent and is very clear. If you take the issue of per capita income, payment of minimum wages to these people, you would see so much of injustice is being done to these people. It is unimaginable. So, the time has come that the Government should come out with a specific legislation to cover all these aspects of discrimination and Prohibition and help them to develop. The previous speaker from the Opposition side said that vacancies meant for *Dalits* are not being filled up. There are innumerable backlog vacancies which are not being filled up. This again is another sign of discrimination done by employment authorities under the very nose of the State and the Central Governments.

We also have a large number of other issues, for example, that concern the *Dalit* women. Sir, *Dalit* women are doubly discriminated. First, they are discriminated as women and secondly as *Dalit* women, as if they are chatels of any person in authority representing the elitist structure. They work as bonded labourers. They serve as Devadasis in temples. They are engaged as construction workers. In every walk of life exploitation has been institutionalised knowing full well that it is prohibited under the law. The oppressors are breaking the law. At the same time, they escape with impunity. In such a context, I would urge the Government that certain positive actions need to be taken. First of all, gainful employment, which is very important, has to be provided. Then, the occupation should not be discriminatory like safai karmacharis which has become hereditary. Sir, even the National Commission for Safai Karmachari is unable to carryout any kind of reforms for these people. There is no proper appreciation of dignity of labour among the entire social structure. So, it is societal violence. It is not necessarily legal or merely social violence. The entire society accuses these people with discrimination and injustice. You will find this kind of a situation cannot be changed just by providing menial employment without dignity. It is the time that we

should think deeper, we should debate in a more consistent and logical way in a cool and calculated manner based on research and facts. Then only, it will be possible to uplift this community in the society and bring it on par with the rest of the society. Here, we even lack, what is called, *Dalit* jurisprudence. You go to the United States of America. They have developed 'black jurisprudence'. The law we administer, the law we promulgate is not in accordance with the traditions and customs on which these *Dalits* have survived for centuries. Therefore, a new kind of jurisprudence the *Dalit* jurisprudence is also necessary in order to ameliorate the conditions of these people and ensure justice and fairplay.

Sir, you are aware that the Preamble to the Constitution speaks of equality. But where is this equality, when the society itself treats these people unequally, when the Government is also a party to it in many respects? Therefore, some kind of radical and cataclysmic changes have to be brought about in our mindset, in our legal system, in our socio-political structure, in our social conduct, and in our day-to-day behaviour. Then only it will be possible to bring these people on par with the rest of the community. Then only, they will really be participant in the development processes of this country.

I am grateful that the hon. Minister has taken this step in order to expand the base of reservation. In some way, it is not only approving whatever has happened wrong, but also rectification of the anomalies. But, at the same time, there are other serious anomalies, for which the Government should reflect and bring out a national policy for *Dalit* development; only then, it will be possible for us to debate holistically on the changes that have to be brought about. Social change, social reconstructions cannot be done in a day, but, nevertheless, there are certain other issues, like, even merit, for example. Sir, you are aware how Dr. Amartya Sen has said that reservation is not anti-meritarian. He has brought about in his several articles that reservation is not anti-meritarian in the sense that 'merit' has to be redefined. Merit not in classroom performance, but merit as to the indigenous systems of philosophies, traditional ideologies, indigenous knowledge systems and *Dalit* medicine systems. All these great ideas are being, more or less, thrown to the wind. And, we have brought in a new kind of superficial, new kind of artificial fixation in the society, in the knowledge systems and the merit systems of this country. Therefore, I would like to urge that these fundamental issues need to be grappled in order to bring these people on par with the rest of the society community.

Sir, my colleague serves me a small note that mentions how the *dalits* are being discriminated when they migrate from one State to another, they lose their identity for example, in the State of Orissa, they are identified as the Scheduled Castes, but in Assam they are listed as Backward Classes; in Orissa, there are Scheduled Tribes, who in Andhra Pradesh are classified as upper castes. Therefore, there are many anomalies, so many aberrations, and so many distortions in the entire listing system, as found in the Constitutional Order across the States other orders also. They need to be rectified and notified fresh and the injustice being perpetuated against these people removed.

SHRI TARINI KANTA ROY (West Bengal): Sir, first of all, I rise to support the Bill because this is a very important Bill. This Bill had been passed by Lok Sabha. It is very unfortunate that it was passed there without any discusion. Sir, in my view, some inclusion from some States is very important. I would like to raise some points here.

Earlier, during my first speech in this House, I raised some questions on this subject. I demanded on that day that we should have a comprehensive Bill on this issue of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward communities. Sometimes, we include them, but, if there is a comprehensive Bill, then, we can do it easily. So, sometimes, we discuss and pass it here; that will not be necessary.

Sir, at that time, I mentioned about some anomalies, which have already been raised here. In our State, West Bengal, the Rajbansi Community considered a Scheduled Caste. In Meghalaya, the Rajbansi community is a Scheduled Tribe. In Assam, Rajbansi community is treated neither as a Scheduled Caste community, nor as a Scheduled Tribe Community. It is treated as OBC. Such anomalies are there. I demanded, at that time also, to rectify all these anomalies and to bring a comprehensive Bill before this House.

In my earlier discussion also, I raised a point that special facilities should be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBCs. It is very unlikely, but, it should be done because they are still backward. They should be taken forward. Now, it is the 60th year of Independence; we are passing through the 60th year of Independence, but, some communities like the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBCs are still backward. So, we are trying to take them forward and bring them at par with other classes. We could not do it because of the failure of the policy of the Government. It should be rectified.

And, I mentioned at that time also, and it is a reality now also, that there are vacancies. There is a backlog of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We could not fill them up because we have not been able to take them forward or upgrade them. We have not been able to upgrade them, and, that is why, they are still backward. And, they are not properly educated. They are not up to the mark. So, while considering all these Bills, like this, we should consider not only for inclusion, but we should also consider how we can develop this backward section. We should consider all these issues. I do not want to go into details. This is a very important Bill and we support this Bill. At the same time, again, I demand that a comprehensive Bill should be brought forward to upgrade these backward people. Throughout the nation, the same technique should be adopted for this task; how to include them and how to upgrade them. Thank you, Sir.

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल देश के सात राज्यों हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और छत्तीसगढ़ के सत्रह समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंध में है। महोदय, कांस्टीट्यूशन में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया गया और उस आधार पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग में इन समुदायों को बांटा गया। अभी भी कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अनुसूचित जाति के ही बराबर है या उससे भी कमजोर है, मगर वे पिछड़ी जाति में हैं, अत्यन्त पिछड़ी जाति में हैं। राज्य सरकारों ने इसका सर्वेक्षण कराया, राज्य सरकारों में भी आयोग बने हुए हैं और उसके आधार पर कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा की। महोदय, बिहार में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उस समय बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद्, दोनों से प्रस्ताव पास हुआ और तकरीबन 11 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। काफी समय हो गया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि उस समय बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। बार-बार बिहार से इन समुदायों के लोगों के फोन आते हैं, रिप्रिजेंटेशंस आते हैं कि उस पर

केन्द्र सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है। महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद् से केन्द्र सरकार को जो अनुशंसा प्राप्त हुई है, उसकी क्या स्थिति है?

महोदय, हमारे एक मित्र ठीक कह रहे थे कि हम आजादी की 60वीं वर्षगाँठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में दलितों की स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ लोगों को नौकरी मिल गई है, कुछ की सामाजिक स्थिति सुधर गई है, आर्थिक स्थिति सुधर गई है, मगर अनुसूचित जाति के जो अधिकांश लोग हैं, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उनके साथ अभी भी अपमान किया जाता है। अभी एक–दो दिन पहले मैं एक अखबार पढ़ रहा था कि मिड–डे मील स्कीम में किसी स्कूल में – मैं स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता – एक दलित महिला को भोजन बनाने का काम दिया गया था। अब वहाँ के जो बड़े लोग थे, ऊँची जातियों के लोग थे, उन्होंने मना कर दिया कि इसके द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा, उसे उनके बच्चे नहीं खाएंगे। यह स्थिति है! अभी तक दलित की यही स्थिति है, पूरे देश की यही स्थिति है। उनकी महिलाओं के साथ रेप होता है। पिछले साल मैंने यह सवाल उठाया था कि बेगूसराय में और बिहार के कुछ और भी क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएँ हुई हैं। दूसरे लोग भी उनके बारे में यह सवाल लगातार उठाते रहते हैं। उनकी स्थिति में, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। फिर भी इस समुदाय में शामिल करने के बाद सरकार की ओर से जो सुविधाएँ दी जाती हैं, वैसी सुविधाओं का भी पूरा लाभ उनको नहीं मिलता है और छिटपुट रूप से उनको इसका लाभ मिलता है। 17 समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद् से जिन जातियों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव आया है, मंत्री जी उस प्रस्ताव को देखें और उसके सम्बन्ध में भी सदन में बिल लाएँ और उन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल करें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Brindaji, already, a Member from your Party has spoken. Since, you have made a special request, I am allowing you.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I just want to extend support of my Party to the Bill. I also take forward the demand made by my colleague who spoke that we do need a comprehensive Bill on this because there are very many problems relating to the identification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in different States. I would like to draw the attention of the House to the Supreme Court judgement of February, 2006, in which the Supreme Court clearly stated that if in a particular State a caste is declared or identified as a Scheduled Caste and that person goes to another State, the caste status will not change. This is the finding of the Supreme Court.

But, unfortunately, in our country, as many of my hon. colleagues have stated, there are many such examples in different States. Even where two States are bordering States, while in one State a community is a Scheduled Caste, in the other State, they do not get the benefits.

Now, I want to very specifically raise the issue of the *Namasudra* community among *Bengalis*. These, Sir, are the most unfortunate people. They were forced to get the refugee status in India at the time of partition. Later on also, there was an influx of *Hindus* from East Pakistan. Most of them belong to the most depressed, oppressed *Namasudra* community which is considered a Scheduled Caste community. Now, in India, they were settled in different States by the Central Government, not through their own volition. Now, you see their condition, Sir, where, in West Bengal, they have got the Scheduled Castes status — and, in fact, some of the Ministers in West Bengal

belong to the *Namasudra* community as Scheduled Castes — in Orissa also, they are accepted as Scheduled Castes, but in many of the areas where they were settled not through their choice but through a decision of the Central Government, they have not been given that status. Now, in Uttarakhand, Madhya Pradesh, Chhattisgrah and in some parts of Uttar Pradesh, this community is living there. In fact, when the BJP Government was there in Uttarakhand, the first Uttarakhand Assembly passed a Resolution, a unanimous Resolution, asking the Central Government to extend the Scheduled Castes status to the *Namasudra* community, and they have been denied it. I have met the hon. Minister on this issue; I have also spoken to the Home Minister on this issue, but, unfortunately, the Registrar General of India, having conducted a survey, has come to the conclusion that the social and economic conditions of this community in Uttarakhand or Uttar Pradesh or Madhya Pradesh or Chhattisgarh are not such as to be given the Scheduled Castes status. Now, I think, this is completely decontextualising the entire status of this community. They are coming to Delhi on the 21st. They are going to hold a Convention here precisely on this issue, and I would request the hon. Minister to seriously consider the anomalies which are there.

Sir, I want to make just one more point on this, and that is that the founders of our Constitution believed that the way that India would develop, it would not require for more than 15 years a special status for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I believe, सर, आज अगर आप हमसे पूछें तो हमारे देश में, हमारे समाज में अगर कोई सबसे बड़ा कलंक है, तो वह जाति प्रथा है। जब तक इस देश के अंदर जाति प्रथा मौजूद है, आप ग्रोथ रेट्स के जितने भी आकलन दे दें अथवा परमाणु हथियारों के जितने भी विस्फोट कर लें, लेकिन हिन्दुस्तान कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकता है।

सर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस जाति प्रथा के आधार पर दलित औरतों की जो स्थिति है, उसे बयान करने में भी मुझे शर्म महसूस हो रही है और साथ ही साथ गुस्सा भी महसूस हो रहा है। हमने कितने ही प्रदेशों में देखा, जहां पर दलित औरतों के लिए, गरीब औरतों के लिए, जो खेतिहर मजदूर हैं अथवा भूमिहीन मजदूर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है, उसे सुन कर मुझे लगता है कि आतंक की परिभाषा को सही मायनों में समझा जा सकता है। आज दलित औरतों को अपनी रोजमर्रा का काम करते हुए जिस तरह के आतंक को सहन करना पड़ता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है।

सर, कल हम लोग पार्लियामेंट के इस सदन में अपने देश की आजादी की साठवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। यह बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों की आजादी के साठ साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि इस जातिप्रथा का कलंक हमारी उस आजादी के ऊपर एक काली छाया की तरह है। मैं अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि इस देश के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जाति प्रथा को वोट बैंक के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए अपितु उसे जड़ से उखाड़ने के बारे में सोचा जाना चाहिए। सर, आज कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान की परम्परा पर आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी हमारे दलित मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान को भी हम जाति प्रथा के नाम पर बांट रहे हैं तो आगे क्या होगा?

आज कुएं के पानी की यह हालत है ...**(व्यवधान)**... सर, आज कुएं के पानी पर भी उनका बराबर का अधिकार नहीं है, इसलिए इस बिल को ...**(व्यवधान)**... सर, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं चाहती हूं कि आज हम सभी यह शपथ भी लें कि इस जाति प्रथा को इस देश से उखाड़ कर फैंक देंगे।

1.00 P.M.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, please allow me half-a-minute. ...*(Interruption)* The hon. Member has raised a point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us decide whether we are going by ...*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, it is a very important point. I would take only half a minute. The situation is this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, there are two divergent views.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, if you wish to express your views, you may do so by giving your name.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, there are two divergent views expressed by the Supreme Court. One of them states that if a *dalit* community migrates, they don't carry the caste name. That is one judgement. There is another judgement. It is totally confusing.

SHRIMATI BRINDA KARAT: There is nothing confusing. If the hon. Member reads the Supreme Court judgement, his confusion will be removed. ...*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, there are two divergent views. Let me tell you; I have personally known that when a person of the *dalit* community migrates to another State, if he wants to contest elections, election authorities do not allow him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister respond to it.

SHRI V. NARAYANASAMY: This is the situation. Let the hon. Minister respond to it. It was upheld by the court too.

SHRIMATI BRINDA KARAT: That is my point.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): सर, वैसे तो इस बिल पर हमारी ओर से श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि जी बोल चुके हैं, लेकिन चूँकि नमो शूद्र का विषय श्रीमती वृंदा जी ने उठाया है, इसलिए मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

महोदय, यह जो विषय नमो शूद्र का है, यह विषय इतनी ज्यादा गम्भीरता धारण कर चुका है कि उत्तराखंड चुनाव में यह एक बहुत बड़ा विषय बना था। वहाँ रुद्रपुर जिले में गदरपुर constituency है, जहाँ बहुत ज्यादा concentrated नमो शूद्र रहते हैं। वे लोग वोटिंग के बहिष्कार तक आए थे। उन लोगों ने कहा था कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसी तरह पीलीभीत में, जो बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, वहाँ नमो शूद्र बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। सरकार के संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी वहाँ जाकर, उन्हें विश्वास दिलाकर आए थे कि उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा। जैसा कि वृंदा जी ने बताया कि हमारे समय में, जब उत्तराखण्ड में बी.जे.पी. की सरकार थी, हमने बाकायदा एक रेजोल्यूशन पारित करके यह कहा था कि इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। पीलीभीत में भी हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं, ने, मैंने स्वयं जाकर यह कहा था कि नमो शूद्र को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इसलिए यह कहती हूँ क्योंकि सरकार के एक मंत्री का आश्वासन रहा है। मैं आज सरकार को उनके उस आश्वासन की याद दिलाना चाहती हूँ कि यह नमो शूद्र जाति के साथ बहुत बड़ा अनयाय हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा है, लेकिन जहाँ वे सरकार द्वारा शरणार्थी के रूप में बसाए गए थे,

वहाँ उनको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं है और वे उन तमाम सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। इसलिए मेरी भी यह माँग है, इस सदन में खड़े होकर, कि नमो शूद्र जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, we are dispensing with the lunch hour as we have a lot of business today. Yes, Mr. Natchiappan.

DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I support this Bill which seeks to amend the Constitution by providing for inclusion of certain castes in the list of the Scheduled Castes.

[THE VICE-CHARIMAN (PROF. P.J. KURIEN) in The Chiar]

We are celebrating the sixtieth anniversary of our Independence. In these sixty years, we are proud to say, many of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people have risen to the top. We are proud to say that for the first time in our country, we have a Scheduled Caste person holding the office of the Chief Justice of India. But I should also add here that he has not come to occupy this high office on the basis of reservation. He has risen to this position only on the basis of his own efforts and merit. Sir, the Constitution of India provides for upliftment of socially and educationally backward people so as to enable them to come at par with those belonging to higher classes. During the British period, many people could rise to the top because of their social and educational status. Sir, even after the end of the Vedic period, much before the British came to India, we had the caste system in our society where there were divisions based on occupations. They have to do the same job which their ancestors were doing. They cannot come up out of that particular job. In Tamil poetry during the Sangabalam period about 2000 years before, a poet said that even if he is a backward or a Scheduled Caste person — at that time the word 'Scheduled Caste' was not used — or at the lowest rung of the society, by his education and by his efficiency, he can bring himself out of that caste system. That was the thought of the Tamil poet at that time. Kanikar Poougkundram made that poetry who belongs to our district. We are proud of him. There are people who are still socially and educationally backward and are suffering even though their caste names are included in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists by the Proclamation of the President of India after a consideration at the State level and the national level. Sir, after 60 years, we have to make a thorough study upon this subject because a new thinking is coming up through the media and people who are occupying the highest position that if someone utters a word of caste, then he is dividing the society. Sir, it is a wrong notion. It has to be curbed at that stage itself. If it is said that policy of reservation means division of society, then we are not understanding our history. For so many years, people were suppressed and they were socially excluded from the society. They could not get the education; they could not get the opportunity to live as others were living. Even after 50 years of Proclamation, if these people could not come up, if they could not get the right to education and right to have a social acceptability in each and every position, then we are ashamed of it. We are proud in one way that we have improved many of the things. We have got the President of India earlier who belonged to a Scheduled Caste. He has never come as a person from the category of Scheduled Castes. He came as a diplomat, he came as the best person and he came as a person who is reliable for social justice. He has never been elevated as a President of India on the basis of reservation. But, Sir, the situation has been changed. People, who are living in the villages and cities,

are migrating from one place to another place for seeking jobs or seeking livelihood. They are now outcaste. To which caste they belong, we don't know. If a person from Tamil Nadu migrates for his work in Delhi, as per the interpretation of present judgements, he loses his category as Scheduled Tribe or Caste because he has been uprooted from his geographical area. This is the thinking. Sir, I am sorry to say that if a social justice person is sitting there, he will not say like that. Even if these people migrate from one place to another place, they are having the same status. How they are socially and educationally backward, that classification we have to find out. If he migrates to urban area whether he is having the same social status or is he getting the education immediately? No. Even now they are living in slums. They are wriggling out like worms in the slums. We can see many of the people live on the railway tracks in Delhi Railway station. About 20 tracks are there. If the train is coming in No.2 track, then these people shift their place in the mid-night to another track for sleeping. Next day, they shift to another place. Railway track is the best bed for these poor fellows. They have to go for a small job in the city. They are Scheduled Cates or Scheduled Tribes but they are not recognised according to the present interpretation of the law. Can we accept it? Another thing is that if a person wants to get social status or education, some religions are allowing them. They are sending their children in a proper way to the schools, but they are unable to come up to the level of colleges or universities. They are still termed as converted Christians or converted Muslims, but they are having the same tag of Scheduled Caste or Scheduled Tribes. They cannot marry outside their caste. Even in Tamil Nadu, many of the mosques are there. If a particular mosque belongs to Scheduled Castes and another mosque belongs to Scheduled Tribes, then people belonging to particular Caste cannot go to the mosque belonging to other Caste. This is the position now. That means, even now, they are socially and educationally backward citizens as mentioned in article 16(4). Therefore, we have to see what is the status of Scheduled Caste whose caste name has already been proclaimed by the President as Scheduled Caste. We have to see as to. how many people have been benefited by reservation, and to what extent, and how many are still left out. That is the statistics that we have to ascertain. Sir, article 341 of the Constitution gives the power to the States and the Union Territories to notify as to who are, the persons that have to be classified as Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Union Government can accept it. But, at the same time, we have to see whether the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is empowered to find out whether the social and economic development programmes of the Government of India are reaching these people; whether the programmes are being implemented for their benefit. Are they doing it? Are they empowered to do it? The Constitution empowered it. But, how are they calculating it? How many people have been uplifted by these social and economic development programmes of the Government of India and the State Governments as stipulated in the Constitution? Has the Commission fulfilled the mandate given to it? What does the Annual Report say regarding the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people who have crossed the economic and social backwardness status? I request the hon. Minister to see that these words in the Statement of Objects and Reasons, "the inclusion of new castes based on social, educational and economic backwardness". I request that this phrase 'economic backwardness' should not be there. It cannot be there. It is against the Constitution. The Constitution recognises only the social and educational backwardness. Therefore, we cannot include the economic status because some people within the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities can very easily be excluded when the Officer sitting in position decides the fate of a person while

deciding whether a person belongs to a Scheduled Caste/Scheduled Tribe or not for reservation purposes. Sir, economic status is not at all recognised in the Constitution. If you see the Constituent Assembly debate, many of the people had asserted that economic status should be included. But, finally, Dr. Ambedkar came to a conclusion that economic status cannot be taken into consideration. A rich fellow today may be poor tomorrow. I will give an example, Sir, just for appreciation. When I was contesting elections to Lok Sabha, I was asked to meet a particular person. He was introduced to me as the Zamindar of Sivaganga. He was from King's family. I thought that he would be a very rich man having a decorative dress and he would be coming in a very rich way. But, I saw a very poor fellow with a very bad cloth, without having cloth on the body. He was having cloth just to hide his own organ. That poor fellow came. The person, who came along with me, told me that I need not remove the shoes. He told that they had to remove the shoes because this was the obligation that they had to do before that particular gentleman. Then, they removed the shoes and bowed before him. They told their Maharaja to urge his people to vote for me. He said, "Yes, I will do it" But, I thought whether he was having a palace. He had a very ordinary house. His status was that of a Maharaja, a Zamindar, who owned acres of land in that area. But, now what is his status? He is a poor fellow? Socially, he may be recognised as a big person, but he is educationally and economically poor.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Natchiappan, there are other speakers also.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Therefore, Sir, my submission is that economic status cannot be taken into consideration. Socially, they may be recognized; but, educationally, they were not recognized. They have not come up to their standards. My main point on which I would like to stress is that it is high time to see that High Courts and the Supreme Court should have the social justice system. The people who belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe should occupy the positions through reservation. Until and unless they occupy these posts, we cannot get justice and we cannot have social justice in judgements. We would be appearing as if we are living in the heaven. Everything is happening here. Why are you classifying the citizens into caste system? Sir, even today, ninety crore people are living according to the caste system and they are not having anything to live on. Such is the situation. If such a person occupies such a position in the judicial system, only then, we can hope for a change. If there is reservation in the Parliament, if there is reservation in the Assembly, and if there is reservation in Panchayati Raj system, then, why can't we have it in the judiciary? Even, in the Executive, this reservation is there. For judiciary also, we should have this system of reservation because then only, social justice will be interpreted as per the Constitution. The present interpretation is totally against the social justice.

With these words, I support this Bill but the hon. Minister has to review the entire performance of these Commissions and how the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people have been occupying proper positions, which is guaranteed by the Constitution. This list is now larger than the initial list. We can enlarge the numbers but are we giving them the positions. If we are not giving them positions, and, at the same time, we are enlarging the list, it means that we are doing injustice to the community, we are not properly appreciating their position, their social background, their educational background and we are not bringing them up. Thank you very much, Sir.

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष, महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007* के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं अपने वामपंथी साथियों के सारगर्भित वक्तव्य से पूरी सहमति व्यक्त करता हूं। केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन जगहों पर जो लोग शामिल किए गए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसकी अपरिहार्यता और आवश्यकता पर भी मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना समर्थन देना चाहता हूं। बहन सुषमा स्वराज और वृंदा कारत जी ने नमोशूद्र सम्प्रदाय के बारे में जो बयान दिया है, उससे मेरी पूरी सहमति है और मैं माननीय मंत्री महोदया से चाहूंगा कि संसद में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता का पूरा अवलोकन किया जाए। नमोशूद्र समुदाय के बारे में और उनके कष्ट के बारे में मैं स्वयं भी जानता हूं, पीलीभीत और उत्तराखंड में मुझे जाने का अवसर मिला है और नमोशद्र सम्प्रदाय बहुत ही बुरी हालत में है और आपके मंत्री, श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी जब वहां गए थे तो उन्होंने उत्तराखंड में नमोशूद्र समुदाय के लिए बहुत आश्वासन दिया था। इसलिए नमोशूद्र समुदाय के बारे में आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयत्न सरकार करेगी, ऐसी मेरी आशा है।

मुझे यह बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 60 साल बाद भी जाति के ऊपर काफी चर्चा हो रही है और आज भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पिछड़ेपन के साथ–साथ राजनीतिक समीकरण का बनना और बदलना जाति के आधार पर काफी हद तक तय हो रहा है। राजनीति में अगर धर्म का प्रवेश हो जाए, राजनीति में अगर जाति का समावेश हो जाए, तो कभी–कभी राजनीति विषाक्त हो जाती है, तिक्त हो जाती है और इस विषाक्त और तिक्त राजनीति का सदुपयोग बिल्कुल नहीं हो पाता, दुरुपयोग ही होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम बहुत बड़े–बड़े व्याख्यान दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा संवेदनशीलता दिखला रहे हैं, लेकिन आज यहां ट्रेजरी बैंच और प्रतिपक्ष के इस प्रमुख दल से, इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग यहां बैठे हैं। ये बेंचें खाली हैं और उधर भी बेंचें खाली हैं ...**(व्यवधान)**... देख लीजिए, बोलिए मत ...**(व्यवधान)** आपसे ज्यादा लोग हमारे बैठे हैं ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shrimati Jaya Bachchan, please take your seat. ...*(Interruptions)*.. Mr. Amar Singh, please address the Chair. ...*(Interruptions)*..

SHRI AMAR SINGH: Sir, he is in the habit of interrupting ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please take your seat...*(Interruptions)*... Amar Singhji Please address the Chair. ...*(Interruptions)*... please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री के.वी. शणप्पा (कर्णाटक): अभी भोजन का समय है।

श्री अमर सिंह: मेरा कहना है कि भोजन का समय है, भूखे सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, हम भी भूखे–प्यासे बैठे हैं। प्रश्न यह नहीं है, भूख और प्यास से इसको मत जोड़िए। यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मैं पूरे सदन की तरफ से बोल रहा हूं। इस मुद्दे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे इधर बैठे लोग हों, चाहे उधर बैठे लोग हों, चाहे बीच में बैठे लोग हों, इस मुद्दे पर सबको भाषण नहीं देना चाहिए। यह मुद्दा भाषण का नहीं है, यह मुद्दा संवेदनशीलता का है। जो गैर–बराबरी है, आजादी के 60 साल के बाद जो उपेक्षा है, उस उपेक्षा को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में राजभर जाति और गौड़ जाति, इनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। राजभर और गौड़ जाति की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में जब–जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हमारे नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने राजभर जाति और गौड़ जाति के अधिकारों की लड़ाई हरदम लड़ी है, बढ़–चढ़कर लड़ी है।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि नमो शूद्र समुदाय के लिए, राजभर जाति के लिए और गौड़ जाति के लिए उचित प्रावधान करने का प्रयत्न करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि काशीराम जी से हमारे वैचारिक मतभेद रहे हैं, बहुत लड़ाई रही है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि दलितों के उत्थान के लिए आदरणीय काशीराम जी ने बहुत काम किया है, बढ़-चढ़कर काम किया है और आदरणीय काशीराम जी के लिए केन्द्र सरकार ने कैबिनेट से यहां जो भवन दिया है, उसका भी मैं पूरा स्वागत करता हूं। देना चाहिए। काशीराम जी के लिए अगर भवन नहीं दिया जाएगा, तो किसके लिए दिया जाएगा, ग्रियम और कानून को दरकिनार करके, उनके लिए कैबिनेट से प्रावधान करके भवन दिया गया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, मीरा कुमार जी यहां बैठी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने आदरणीय पिताजी, प्रातः स्मरणीय बाबू जगजीवन राम जी, बचपन से जिनके बारे में हम सुनते आए हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, मैं चाहूंगा कि बाबू जगजीवन राम जी की स्मृति में भी ऐसा ही एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। काशीराम जी के लिए जो भवन दिया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले दलितों के उत्थान के लिए बाबूजी ने जो काम किया है, यह बात देश में सभी लोग मानेंगे कि दलित संप्रदाय में बाबूजी की उत्पत्ति जरूर हुई, लेकिन वे केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे सवर्णों के भी नेता थे, वे देश के नेता थे। बाबू जगजीवन राम जग के और जीवन के नेता थे उनका जैसा नाम था, वैसे उनके गुण थे। यह बात अलग है कि केन्द्र सरकार अपने इतने पुराने वयोवृद्ध नेता का सम्मान करने में चूक रही है। यहां अन्तोनी साहब बैठे हैं, वे कांग्रेस के उन चंद अच्छे नेताओं में से हैं, जो सच का साथ देते हैं। यह मेरा अनुभव है, वे मेरे साथ समितियों में रहे हैं। सत्य अप्रिय भी होता है, चाहे उनकी पार्टी की नीति के प्रतिकूल हो, तब भी वे सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरी इस बात का समर्थन करें कि जब दलितों के empowerment की बात आ रही है, तो बाबू जगजीवन राम जी की स्मृति का निरादर गत करिए और इसका समर्थन करिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि राजभर जाति, गौड़ जाति और नमो शूद्र का भी समावेश इसके अंदर किया जाए और मैं चाहूंगा कि हम लोग भाषण न दें, हम लोग जो कुछ भी कहें, सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर न कहें, हम लोग अपनी आत्मा से, अपने वचन से, अपने कर्म से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए पूरे समर्पण से लगें और जब ऐसे संवेदनशील मुद्दे हों, तो चाहे हमारे बीच के साथी हों, चाहे इधर के साथी हों, चाहे उधर के साथी हों, हम सामूहिक तरीके से, ठीक उसी तरीके से काम करें, जिस तरीके से कल हम परमाणु संधि के विषय पर इकट्ठे होकर रहे, इसी तरह से देश के सवाल पर, इन मुद्दों पर हम सभी लोगों को सामूहिक रूप से, इकट्ठे होकर दलितों की उन्नति के लिए बढ़-चढ़कर आगे आना चाहिए।

एक बार फिर बाबू जगजीवन राम जी, जो दलित उत्थान के प्रणेता थे, देश के उत्थान के प्रहरी थे, उनकी स्मृति को प्रणाम और नमन करते हुए मैं मीरा कुमार जी और अन्तोनी जी से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह काशीराम जी के लिए भवन दिया गया है, उसी तरह बाबू जगजीवन राम की स्मृति में भवन देने का काम करेंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, my party, the Communist Party of India, supports this Bill. We find that the intent of the Government in this Bill is sincere and genuine in this regard. Having said this, I must point out that there must be a comprehensive approach to the issues related to dalits. There are some practical problems related to this particular Bill. The dalits, who are recognised in some parts of the country, if they migrate and settle down and become citizens of other region, they are not being treated

as dalits. It happens in case of dalits who have migrated long back and settled down in Mumbai, Maharashtra. It also happens in case of dalits who have migrated from Tamil Nadu and settled down in Pondicherry and other region. So, there is an anomaly. This anomaly needs to be looked into. How the Government will address this anomaly, I leave it to the Government. But this is an anomaly and this has to be looked into and sorted out.

Then, Sir, I must come to certain other issues related to dalits. Several hon. Members spoke here. I agree with their emotions. I agree with their strong feelings when they spoke about dalits and their conditions. We are celebrating the 60th anniversary of our Independence, but the conditions of dalits continue to be miserable in several parts of the country. I must say if India, the great nation, has to emerge as a modern civilised nation, the dalit question has to be addressed with a sense of urgency. Dr. Ambedkar said, "India could not emerge in true psychological and social sense as a nation as long as castes exist and it is the caste system which has to be fought." The annihilation of the caste system must be a priority for all political parties and social forces. This caste system is really vegetative and it is stagnating the progress of the society as a whole. We need to fight against the caste system. But it is a long drawn battle. Dr. Ambedkar said, "Casteism or castes are a mental twist and to straighten it takes time." We will have to fight it and we will have to carry on the battle against the caste system. Social oppression is a problem in our country. Social discrimination is a problem in our country. Even after six decades of Independence, as many Members pointed out, the dalits are discriminated in every respect of social life and dalit women are being discriminated. The way they are being tortured, the way they are being raped or killed, it is in fact very difficult to explain it in words. Such atrocities are happening in our country and these atrocities are on increase and here comes the question of constitutional safeguards for dalits. The rights of dalits must be treated as basic human rights, democratic rights, and constitutional protection and safeguards are needed for them. There is the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. I do not know how that Act is being implemented properly in several parts of the country. If that Act is implemented, there should be action against those who commit such heinous crimes against dalits in our country. Having said this, I must point out that the Government must initiate certain meaningful measures without any delay for the uplift of dalits. For instance, land reforms is one of the most urgent needs and unless we implement radical land reforms, unless we change the agrarian relations, dalits cannot have livelihood in the countryside, dalits cannot have any self-reliance or independence on their own in the countryside. Even though it is for the State Governments to implement land reforms, at the national level, we must have a perspective and the country should go in for radical land reforms and all feudal remnants will have to be eliminated and feudalism, in any sense, cannot be tolerated hereafter and there comes the importance of land reforms.

Then, dalits must have priority in education, health and housing. In fact, I must point out that housing must be treated as one of the Fundamental Rights. If people do not have a decent house or hut for living, they cannot have an address also. On the one side, we claim to be independent citizens in this independent country, but they do not have permanent hut or permanent house. How can they give their permanent address? That is the problem with majority of the dalits in this country. I really feel that housing must be treated as one of the Fundamental Rights for all the citizens and in case of dalits, it is the most important issue and that is where the demand for housing

quarters or housing sites has become very crucial and in several parts, there is a struggle, even in Andhra Pradesh. That is one of the reasons for such struggle by poor people, demanding house sites. On the question of health care also, dalits are neglected in health care.

In totality, I must say, on the one side, we talk about globalisation, we talk about 9.4 per cent GDP growth, double digit GDP growth in the country, but, it does not reflect in the living conditions of our common people, particularly in the living conditions of dalits. This nine per cent GDP growth doesn't have any meaning for dalits and the double digit GDP growth doesn't have any meaning for dalits. I must say this. That is why, now, everybody talks about inclusive growth. What do they mean by inclusive growth? Then, what happened? It is a known fact that in the process of economic development, dalits have been excluded, dalits have been neglected and dalits have been marginalized. Unless we break the shackles of globalisation, the conditions of dalits cannot improve in this country. It is a fact that discrimination is becoming more and more acute and in this process, dalits are becoming the worst victims. I do not know whether one Ministry can address these concerns of dalits. That is why, I suggest that the Government should have a comprehensive approach to the problems of dalits. Now, there is a new issue. Earlier there used to be a sub-plan or a component plan for dalits, for Scheduled Castes. Now, what is happening? How much money is being earmarked for this plan and for dalits and their welfare? There is a feeling among dalits that they are facing a new challenge, the new challenge of economic exclusiveness, economic untouchability. That is what many dalit activists and many dalit intellectuals are feeling so badly. There is a kind of economic untouchability that is emerging in this country because dalits are being neglected in the process of economic development. This needs to be urgently addressed.

Then, I come to the question of reservation. Reservation is there, but the point is how it is implemented. There is reservation to SCs, reservation to STs and reservation to OBCs. We know what is happening to the twenty-seven per cent reservation to OBCs. It is being challenged. It is being challenged by the Judiciary, the Apex Court of this country, and what Parliament is going to do. In fact, the policy of reservation is a policy matter. It remains in the domain of Parliament, it remains in the domain of Legislature, and once the Parliament decides a policy, that must be the policy of the Government, and the Government of the day will have to implement that policy. How come the Judiciary comes in the way and says, no, you cannot implement this policy? There is a conflict between the Judiciary and the Legislature, the Judiciary and the Parliament. This conflict will have to be resolved. Otherwise, there can be a demand that if there is a reservation at all levels, why can't there be reservation at the judicial level also? That demand can be a very genuine demand also because now, it is a question of ensuring social justice. There is no point in talking about economic growth alone. Economic growth should go in correspondence with social justice. Without social justice, if you talk of economic growth, it has no meaning for the common people, and it cannot convince anybody. If at all there is economic growth, there must be equity of justice, there must be social justice. That is where, as a Member of the CPI, I think, the economic development and social justice must go hand in hand. If one differs from the other, then we cannot achieve our objective. This is one thing we have to keep in mind. And having said this, I must say that now there are new demands, reservation for dalit Christians, reservation for dalit Muslims. Dalits are discriminated, wherever

they are. Irrespective of religious affiliations, dalits are dalits. That is the social reality. I do not want to go into detalis...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): इस्लाम और ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। ...**(व्यवधान)**..सरकार राजनीति के लिए देश को बांट रही है। ...**(व्यवधान)**.. ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**.. ये राजनीति कर रहे हैं और देश को बांट रहे हैं। ...**(व्यवधान)**..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Pany, please don't disturb. What do you want?...*(Interruptions)*... Mr. Pany, please sit down...*(Interruptions)*...Hon'ble Members, this is the maiden speech of the hon. Member...*(Interruptions)*... Don't disturb him. He is not saying anything unparliamentary...*(Interruptions)*... Mr. Pany, if you want to say something, I will give you a chance. You send your name. I will give you a chance. Don't disturb others. Please sit down. Don't do this. Mr. Pany, don't test my patience. Don't do this. This is unbecoming of a Member of Parliament. Don't do that...*(Interruptions)*..

श्री रुद्रनारायण पाणि: इस्लाम और ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। ...**(व्यवधान)**..

SHRI D.RAJA: Whether I made my maiden speech or not, that is not the issue. I will have my say...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Raja, how much time do you need?

SHRI D.RAJA: I will finish very shortly.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Pany, if you want, I will give you a chance. Then you can make your submission. Mr, Raja, please address the Chair.

SHRI D.RAJA (PROF. P.J. KURIEN): Right, Sir. I address you. Through you, I must make it clear that this House does not belong to them only. This House belongs to me also. I have every right to speak in this House...*(Interruptions)*...Do not argue with me ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. I will do that. I will take care of that. Hon. Members, it is his maiden speech.

SHRI D.RAJA: Whether it is my maiden speech or not, I have a right to speak in this House, and don't think that this House belongs to them only. I am speaking on issues related to the most oppressed sections of society of this country. If they have no botheration about those sections of the society, let them keep quiet. They should not interrupt me like this. That is my point....*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Raja, you please continue your speech. Don't get agitated.

SHRI D. RAJA: They should understand what is happening in India. We claim that it is an ancient land, a civilized nation. Which civilization are you talking about when dalits are being butchered on the streets of this country? When dalit women are being raped every day in this country, when dalit children are burnt alive in this country, what civilisation are you talking about? And you are interrupting whenever people talk! This

is what I am talking about. Now, dalits need political empowerment; they need economic empowerment; they need social justice; they need equality. How are we going to ensure that? This Bill addresses a limited concern of dalits, and this House, this nation will have to address the larger concerns of dalits. Unless we address the concerns of dalits, India cannot progress, India cannot emerge as a modern civilised nation. That is my submission. This House will have to consider that. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Raja.

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आज हमारी अनुसूचित जाति का जो ढांचा है, आजादी के 60 साल बाद भी करीब वैसा ही है। इस रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। आजादी के 60 साल बाद आज भी हिन्दुस्तान में जो रिमोट एरिया है, जहां ताल्लुका हैड क्वार्टर्स हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे देहात हो, वहां पर शैड्यूल्ड कॉस्ट के लोगों से साथ अलग पानी पीने का सिलसिला चल रहा है। यह बड़े शर्म की बात है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने और उनके बाद बाबू जगजीवन राम जैसी अन्य एक–दो हस्तियों ने इस रिजर्वेशन के लिए काफी संघर्ष किया। लेकिन आज लोक सभा या आपके विधान सभा में या आपकी पंचायत में रिजर्वेशन होने के बावजूद भी इस समाज के काफी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि क्या इस रिजर्वेशन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? सर, हमारे लिए यह रिजर्वेशन होने के बाद हमारी जितनी प्रगति होनी चाहिए, जितना सुधार होना चाहिए लेकिन आज भी इस ओर सुधार की बहुत कमी है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, चाहे वह एस.सी. हों या एस.टी. हों जब उनका एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, शायद आपको इसका केरल में देखने का मौका मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन नई जगह ट्रांसफर पर जब ये लोग किराये के मकान के लिए जाते हैं तो सबसे पहले लोग इनसे पूछते हैं कि आप किस जाति के हो? तो जाति के कारण भी उनको किराये पर मकान नहीं मिलता है। आज हमारी इस सोसाइटी के अंदर इस तरह से उनकी तौहीन हो रही है तो समाज के सब लोगों की यह जिम्मेदारी है। आज भी हर जगह एट्रॉसिटी आम बात है एट्रॉसिटी कोर्ट में केस चलता है और आपके डी.एस.पी. को ईमानदारी से रिपोर्ट देनी पडती है। उसके ईमानदारी से रिपोर्ट देने के बाद भी जब कोर्ट में इस मामले में विटनैस नहीं रहता तो वह केस समाप्त हो जाता है। तो यह ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों की अगर आपको तरक्की करनी है, तो आपको जमीन को तकसीम करना पड़ेगा। मैं यह महसूस करता हूं कि जिस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं, उस वक्त उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया था। मैं आंध्र प्रदेश के बारे में बोल सकता हूं। मैं उस वक्त के ढांचे का इशारा आपको दे सकता हूं कि एक जमाना था, जब वोट डालने का सिस्टम, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, पटेल और पटवारी, और जमींदार और पावरफुल लोग हैं, जिधर चाहते थे, उधर वोट डालते थे लेकिन 20 पाइंट प्रोग्राम लागू होने के बाद, जमीन की तकसीम होने के बाद, उन लोगों में इतनी जागृति आयी कि वे आम लोग खुद ही डिसाइड करने लगे, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हरिजनों में एक जागृति आयी।

सर, हमारी आंध्र प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी की रहनुमाई में काम कर रही है। और अच्छे काम कर रही है। जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, ऐसे लोगों में हमारी सरकार ने कई एकड़ भूमि को तकसीम किया है। हमने वायदा किया और उसको पूरा किया। हमारी सरकार से पहले जो सरकार थी, नौ साल तक आंध्र प्रदेश में रही उसने पार्टी बेसिस पर काम किया। ...**(व्यवधान)**... मैं श्री अमर सिंह जी के बारे में बाद में बोलूंगा।

...**(व्यवधान)**... सर, मैं यह कहना चाह रहा था कि हमारी जो सरकार है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है..।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप समाप्त कीजिए।

श्री नंदी येल्लैया: आज जैसे डी० राजा ने मकानों के बारे में कहा कि बहुत से लोगों के पास आज भी मकान नहीं हैं, बहुत गरीबी है, लेकिन हमारी सरकार गरीबी को हटाने के लिए, गरीबों के लिए मकानों को बनाने के लिए, प्रतिबद्ध है। कास्ट बेसिस पर नहीं, पार्टी बेसिस पर नहीं, जिनको जरूरत है, उनके लिए बना रही है। और आज हम शान से कह सकते हैं कि राजशेखर रेड्डी साहब की सरकार के द्वारा वहां इस तरह से अच्छे काम किये जा रहे हैं। श्री अमर सिंह जी ने बाबू जगजीवन राम जी के बारे में कहा..।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नंदी येल्लैया: सर, बाबू जगजीवन राम एक महान personality हैं। उन्होंने कहा कि श्री कांशीराम की स्मृति के लिए एक मकान अलाट किया गया। अमर सिंह जी शायद दो महीने पहले बाबू जगजीवन राम के बारे में, मेरे तथा हमारे अन्य सदस्यों के साथ प्रधान मंत्री जी से जाकर मिले और कहा कि जो कृष्णा मेनन मार्ग पर मकान है, उसको एक मेमोरियल बनाना चाहिए और बाबू जगजीवन राम को "भारत रत्न" देना चाहिए। इस तरह की डिमाड हमने की और कांग्रेस की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी इसी तरह की मांग की गयी। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि हमने बाबू जगजीवन राम के लिए एक सेप्रेट लैंड अलाट कर दिया है और उस पर शानदार भवन बनाना ठीक रहेगा। इस काम में हम भी लगे हुए हैं। हम भी दलित हैं, हम भी चाहते हैं कि बाबू जगजीवन राम की स्मृति में एक बड़ा भवन बने। इसके लिए काम चल रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आप भी हमारे बाबू जगजीवन राम के बारे में सोचते हैं। ...(समय की घंटी)...

सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन रहा है और एस.पी. का बेटा एस.पी. बन रहा है। लेकिन आज हमारे दलितों की बहुत दुर्गति है, क्योंकि जब तक हम लैंड डिस्ट्रिब्यूशन नहीं करेंगे, उनको शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। आज सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को नीचा देखा जाता है। ...शैड्यूल्ड कास्ट मैंशन किया जाता है,। हमारी माननीय मंत्री श्रीमती मीरा कुमार जी यहां बैठी हैं जो बाबू जगजीवन राम की सुपुत्री हैं। वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। मैं जानता हूं कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं। आज इस विभाग में और भी बहुत सी चीजों को लाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ...(समय की घंटी)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude. There are a lot of speakers.

श्री नन्दी येल्लैया: सर, मैं जानता हूं कि अभी बहुत सी चीजें हैं। ...**(व्यवधान)**...शैड्यूल्ड कॉस्ट के मामले पर शैड्यूल्ड कॉस्ट ही ज्यादा बोल सकता है। ...**(व्यवधान)**... वह अमर सिंह जी से ज्यादा बोल सकता है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): सब लोग बोल रहे हैं।

श्री नन्दी येल्लैया: मैं यह चाहता हूं कि एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स में, लैंड रिफार्म्स और हॉस्टल्स के अंदर रिजर्वेशन हो। जिस जमाने में बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ते थे, उस समय काफी भयंकर छुआछूत थी। आज के समय में SC के लिए हॉस्टल बने हुए हैं और अन्य हॉस्टल्स में SC के लिए रिजर्वेशन्स भी हैं। उनके तमाम सुविधाएं होने के बावजूद कॉस्ट फीलिंग्स हैं।

इसलिए मैं यह चाहता हूं कि लोगों में यह कॉस्ट फीलिंग न हो। यहां पर कुछ स्टेट्स को इन्कलूड किया गया है। हमारे ब्रह्मा नन्द रेड्डी जी उस जमाने के चीफ मिनिस्टर थे तबसे आज तक यानि बीस साल से फिशरमैनों की यह मांग है कि उनको SC में शामिल किया जाए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Mr. Yellaiah, will you yield for a moment? Sir, he is ...*(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Jothi, there is shortage of time. ...*(Interruptions)*. There is paucity of time. I am not permitting you. ...*(Interruptions)*... Mr. Yellaiah, please conclude. You have said everything. Please conclude. There are other speakers also.

श्री नन्दी येल्लैयाः उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे आन्ध्र प्रदेश में ...**(व्यवधान)**...लैंड के बारे में काफी संघर्ष हुआ है और हम सरकार में हैं, तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं। हम मकान बना रहे हैं तथा और भी मकान बनाएंगे। वहां पर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि वहां पर लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम हो गई। हम अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से हमारी गवर्नमेंट के राजशेखर रेड्डी जी के नेतृत्व में इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और भी आगे बढ़ेंगे। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करुंगा कि आपको शैड्यूल्ड कास्ट के लिए इस बिल में काफी परिवर्तन करना पड़ेगा। आज एट्रॉसिटी के बारे में आपके कई केसेज रिजेक्ट हो रहे हैं। विटनेसेज न होने के कारण आपके कई केसेज रिजेक्ट होते जा रहे हैं। इस तरह ओपनली इन्सल्ट होती जा रही है। आज गांवों में तथा रिमोट एरियाज में शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की इतनी दयनीय स्थिति है। इसे सुधारने के लिए हमें इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। आखिर में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अमर सिंहः उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने वक्तव्य में मेरा उद्धरण दिया है। इन्होंने कहा है कि बाबू जगजीवन राम जी के लिए एक भवन के निर्माण का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन कृष्ण मैनन मार्ग के जिस भवन में बाबू जगजीवन राम जी रहते थे, उसके लिए स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है। सवाल यह है कि जहां वे रहते थे, उसके लिए स्वीकृति मिलनी चाहिए।...**(व्यवधान)**...

श्री नन्दी येल्लैयाः सर, हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**... 100 MPs के सिग्नेचर करवा कर एक रिक्विजिशन भेजी गई है। इस पर गौर किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंहः जहां बाबू जगजीवन राम जी रहते थे, उसको स्मारक क्यों नहीं बना रहे हैं?...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There are four more speakers. Now every speaker will take five minutes each.

SHRI K.B. SHANAPPA: Sir, I will take less than that. मैं आपके घंटी बजाने से पहले ही बैठ जाऊंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay.

श्री के.बी. शणप्पाः महोदय, पहली बात तो यह है जो रिजर्वेशन का मामला है, पिछले साठ सालों से इस देश में परिशिष्ट जाति के लोगों को हजारों सालों से जो समाज में दूर रखा गया था, उसके बहुत से कारण थे। पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन दलितों के बारे में आवाज उठाई और हम लोगों को संवैधानिक सुरक्षा दिलवाई और हम लोग साठ सालों में

बहुत आगे बढ़ सके हैं। लेकिन जब हम खेड़ों मे जाते है, जब विलेजों में जाते हैं तो देखते हैं कि शहरों में इसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। When we go to villages, we find that the status, which prevailed for SCs then, still exists. दस–दस साल के बाद हमारा रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह दलित, जो अपने विलेज में रहता है, उसकी जो छोटी–मोटी जमीन थी, वह तो खत्म हो गई। वहां पर दरिन्दगी आ गई तो वह विलेज छोड़कर शहर में बसने लगा। जब शहर में आ गया तो विलेज में बसे हुए जितने भी दलित हैं, उनकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। बाबा साहेब अम्बेडकर के जमाने में 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ, उस वक्त सिर्फ एस.सी. कैटेगिरी थी। साठ साल के भीतर हर शहर से एडीशन होता आया है। यह अभी 110 तक पहुंच गया है। उनको रिजर्वेशन इकोनॉमिक परिस्थिति के अनुसार नहीं मिला है। यह उनको उनके सोशल स्टेटस, सोशल बॉयकाट के आधार पर मिला है। क्योंकि हजारों सालों से उन्हें पानी नहीं भरने देते थे, न गांव में आने देते थे, न मंदिर में आने देते थे, उन्हें इंसान का दर्जा नहीं मिला हुआ था, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने सरकार के साथ जद्दोजहद करके पूना पैक्ट करके गांधी जी से हंगर स्ट्राइक तुड़वाई। It has been accepted. But what is the position today? आज भी हम लोग एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। देश की जो 60%, 70% एजुकेशन की परिस्थिति है, उसमें दलितों की परिस्थिति 24% है। पंद्रह दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कर्नाटक के चामराज नगर में 45 families of the Dalits were boycotted by the Suvarnas. उनको नौकरी से दूर कर दिया, उन्हें आटा नहीं पीसने दिया, उनको पानी नहीं भरने दिया, उनके गांव में किसी ने अनाज तक नहीं लेने दिया। साठ साल के बाद भी दलितों की आज यह परिस्थिति है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें कितनी भी प्रोटेक्शन दीजिए, जहां तक कर्नाटक की बात है 1600 cases are pending. उसमें से in respect of four cases, they have been completed. बाकी का कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से देश में दलित औरतों के ऊपर अन्याय चल ही रहा है। अगर आप इन तमाम चीजों को निकालना चाहते है तो the Government should have a powerful machinery. How are you going to deal with this problem? It is not that कानून बना दिया, ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है, उनको प्रोटेक्शन देनी है तो उन्हें शिक्षा देने के लिए you have to give all the help. सर, अभी परसों एक रिपोर्ट आई कि एस.सी और माइनोरिटी स्कूल मे 90% ड्राप आउट हैं। दूसरी कम्युनिटी के, दूसरी जाति के ड्राप आउट नहीं हैं। इसकी वजह यही है because they are economically weak. उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं। उनके पास शिक्षा नहीं है। जब तक शिक्षा नहीं मिलती तब तक वे अपने स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा दो, संगठित हो जाओ, उसके बाद अपने स्टेटस के लिए लड़ो। आज परिस्थिति ऐसी नहीं है। लोग तो यहां पर बहुत बड़ी–बड़ी बाते करते है। Everybody seems to be very kind towards Dalits. दलित के बारे में बहुत सी अच्छी बातें करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप दलित बनकर देखिए कि उनकी क्या परिस्थिति है। हम जैसे के.बी.शणप्पा, नंदी येलैय्या जैसे यहां पर कितने लोग हैं? कितने दलित यहां पर हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपर हाउस के लिए रिजर्वेशन नहीं रखा। कांस्टीटूएंट असेम्बली वालों ने उस वक्त यह नहीं सोचा होगा कि पढ़े–लिखे दलित लोग भी यहां पर आ सकते हैं। क्योंकि वहां पर उस वक्त एजुकेशन नहीं थी, लेकिन मैं मीरा कुमार जी से कहता हूं कि आप अपर हाउस के लिए एक रिजर्वेशन बनाइए। दलितों का भी कोटा हो। There should be a reservation for this House too. Earlier we were not very much educated. जब इसका इम्प्लिमेंटेशन हुआ था, उस वक्त उनके दिमाग में यह था कि इनमें कोई सयाना नहीं है, कोई कलाकार नहीं है। जो सिनेमा में काम करके आते हैं, ये ऐसे बड़े–बडे कलाकार नहीं हैं। उस वक्त हम लोगों का उतना calibre नहीं था, लेकिन 60 साल के अन्दर बहुत से इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, बच्चे बड़ी–बड़ी पदवी पर गए, उनको यहाँ पर, बड़े–बडे कलाकारों को यहाँ पर रिप्रिजेंटेशन देने के लिए कंस्टीट्यूशन में एक परिवर्तन लाइए और अपर

2.00 P.M.

हाउस के लिए भी जिस तरह से लोअर हाउस में 18 परसेंट हुआ है, उसी तरह से आप यहाँ प्रावधान लाइए, तब हम लोगों का समाधान होगा। आपने अब तक मुझे भाषण करने का मौका दिया, कामरेड राजा जी, हमने आपको oppose नहीं किया, we were talking about the caste system. We appreciate your feelings. इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है। It is a religion. उसके लिए रिजर्वेशन एक अलग बात है। I do not want to touch upon that. लेकिन एससी की जो बहस चल रही थी, यहाँ पर एससी के रिजर्वेशन के ऊपर बहस चली है, जहाँ तक यह proposal लाया गया है, हम उसको support करते हैं। आपको धन्यवाद देकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you Shanappa Ji. Now, Shri Gandhi Azad. Please stick to the time. You have five minutes.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस महती सदन में सबसे पहले बाबा साहब को उद्धृत करना चाहता हूँ और माननीया मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि शायद माननीया मंत्री जी को भी याद होगा कि बाबा साहब डा. अम्बेडकर जब अनुसूचित जाति की सूची बना रहे थे, उस समय पता नहीं कौन सा अभिशाप था कि लोग उस सूची में सम्मिलित भी नहीं होना चाहते थे। बाबा साहब डा. अम्बेडकर बहुत परेशानियाँ झेलने के बाद उस सूची को बनाने में सफल हुए, लेकिन आज कौन सा वरदान मिल रहा है कि देश के सारे प्रदेशों के लोग अनुसूचित जाति बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं। आज बहुत सारी जातियॉ अनुसूचित जाति बनने के लिए आवेदन कर रही हैं। जैसा कि इस विधेयक में भी लाया गया है, कुछ प्रदेशों को उद्धृत भी किया गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, विद्यमान सूची में किसी जाति के सम्बन्ध में पारिवारिक समुदायों को भी सम्मिलित किया जाए तथा विद्यमान प्रविष्टियों में उपांतरण एवं क्षेत्र सम्बन्धी निर्बन्धन अधिरोपित करना, यह इस विधेयक में लाया गया। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यगणों ने भी अपनी चिन्ता जाहिर की। माननीय अमर सिंह जी यहाँ नहीं हैं, उन्होंने भी चिन्ता जाहिर की कि उत्तर प्रदेश में राजभर और गौड़ लोगों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए तथा पश्चिमी बंगाल के लोगों को, नमोशूद्राय को भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। मैं इस सदन के माध्यम से माननीया मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज इस देश में जातिवाद ने एक भयंकर भूत का रूप धारण कर लिया है और जब देश के कोने-कोने से लोग अनुसूचित जाति में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो मैं माननीया मंत्री जी से एक अनुरोध करुंगा कि एक ऐसा विधेयक लाएँ कि देश की सारी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर दिया जाए, ताकि देश से जातिवाद का भयंकर भूत समाप्त हो जाए। यह मेरा सुझाव है कि इस तरह से कहानी को खत्म करने के लिए ...**(व्यवधान)**... देश की सारी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके इस देश से जातिवाद का सफाया किया जा सकता है। महोदय, इसलिए यह मेरा सुझाव है, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करुंगा कि वे इस विधेयक को लाने के ऊपर भी विचार करने का काम करें। आज आज़ादी के साठ साल पूरे हो गए हैं। आज कुछ जगह पर तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण प्राप्त है, साथ ही लगातार इसके लिए शासनादेश भी जारी होते रहते हैं, लेकिन न तो केन्द्र सरकार के सभी विभागों में आज आरक्षण पूरा है, न किसी अन्य श्रेणी में पूरा है और न ही देश के अन्य सभी प्रदेशों में पूरा है। लगभग हर प्रदेश में बैकलॉग है। मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुखिया, बहन कुमारी मायावती को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि 2002 के शासन काल में उन्होंने विशेष अभियान चला कर बैकलॉग को पूरा करने का काम किया था। अभी चौथी बार वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और इस समय विशेष अभियान चला कर जो बची-खुची जगह हैं, उन्हें भी पूरा किया जा रहा है।

मेरा मानना है कि जब तक नीयत साफ नहीं है, तब तक नियम या कानून जितने भी सख्त से सख्त बना दिए जाएं, उनका परिचालन बहुत कठिन काम होगा। मैं निवेदन करुंगा कि अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्र सरकार का अधिनियम 1989 बना, लेकिन उसका परिचालन करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों पर डाल दी गई। मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि नीयत खराब होने के कारण आज तक देश के किसी भी प्रदेश में इस अधिनियम को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।

पुनः मैं अपने दल की नेता बहन कुमारी मायावती को बधाई देता हूं, जब–जब भी प्रदेश में वह सत्ता संभालती हैं, तब–तब इस अधिनियम को पूरा किया जाता है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): अब आपका समय समाप्त हो गया है। Now, please conclude.

श्री गांधी आज़ादः मैं माननीय महोदय के सामने चंद बातों को रखते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आज जिस सदन में हम बैठे हैं, यहां भी आरक्षण पूरा नहीं है, बल्कि यहां तो आरक्षण का सवाल ही नहीं है। विधान परिषद् में आरक्षण नहीं है, उच्च शिक्षा में आरक्षण नहीं है और न्यायपालिका में भी आरक्षण नहीं है। मैं माननीय महोदय का स्वागत करता हूं, अगर संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़े तो संशोधन करके एवं विधेयक ला कर न्यायपालिका से ले करके विधान परिषद्, विधान सभा तक में कोटा पूरा करने का या आरक्षण लागू करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Silvius Condpan, Mr. Condpan you have got five minutes.

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to speak in support of the Bill. Before I speak, I also extend my gratitude to the hon. Minister for bringing forward this Bill. Sir, my friends have already made their mind, so far as this Bill is concerned. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that a big chunk of people who are living in Assam, who at this point of time constitute one-fourth of the total population of Assam, their original generation, the States from where they have migrated, were recognised as Scheduled Castes and Scheduled Tribes there. Sir, some of them have gone to Assam from Andhra Pradesh, some from Orissa, some from the present Chhattisgarh, some from the present Jharkhand and all other States. After this completion of the scheduling of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, these chunks of people who were recognised as Scheduled Castes and Scheduled Tribes from the inception of the Constitution have been treated as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in their original State. But, during the British regime, these people were taken away to different parts of the country, including that of Assam, to work in the tea industry and they have settled over there for the last 150 years. After the national Government came into existence, during the last sixty years, there has been a persistent demand that the Constitutional discrimination made against them, so far in Assam, should be removed. When one's own relative one's own brother, who remains in Jharkhand is included in the list of ST and unfortunately, when his own brother, who belongs to the same generation, goes to Assam, there, he is neither in the Scheduled Caste list, nor in the Scheduled Tribes list, nor in the backward classes list, without any provision for their upliftment. So, there was a persistent demand to remove the discrimination I do not want to make my speech a very long one, but I am here to make a case for the people who are living in Assam, who genuinely belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

As a matter of fact, as a recognition to the demand, the State Government has, as many as four times, recommended the list of these communities to the Government of India, but I am surprised to see today that only a few communities have been included.

Under what basis did our hon. Minister do this? I am grateful to her for bringing in this Bill. But I would like to know as to how this Bill came into being in this piece-meal way. I have a great dissatisfaction and dissappointment. I would like to make my appeal to the hon. Minister that instead of coming in a piece-meal way will only a few communities to be considered, as many of our learned Members have made their submission, there should be a comprehensive Bill for those who are left out; not newly put into SCs/STs, but they are SCs/STs right from the days of the inception of the Constitution; as the hon. Member, Shri Gandhi Azad has mentioned, that there were lot of problems in preparing the list of communities under the SCs/STs at that time and these people have already been included in their original States. Since the British regime wanted them to go as bonded labourers to work in the tea industry, they had gone to Assam in obedience of the then Government. The total population of Assam, as on today is asking, why does the national Government prepare a Constitution and make this kind of discrimination against the people though the State Government has recognised them? I do not know why the comprehensive list is not coming for consideration. As of today, only a few communities have been included.

I hope, the hon. Minister would kindly take up the matter very seriously and next time, when they come up with another amendment, these people also would be included in the comprehensive list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. With these words, I conclude. Thank you.

श्री अली अनवर (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग आजादी की 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर जो विधेयक लेके बहस है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम एक छोटा–सा सवाल भी पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों को आज आप शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में शामिल करने जा रहे हैं, उनको इन 60 सालों में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? हम इसी के साथ यह भी कहना चाहते हैं कि कई माननीय सदस्यों ने कई और जातियों का, मुल्क के मुख्तलिफ सूबों की कई जातियों का नाम गिनाया है और कहा है कि उनको भी शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इसी के साथ उनकी भावना मे अपनी भावना मिलाते हुए मैं यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि मुसलमानों के अन्दर, इसाइयों के अंदर भी कई ऐसी जातियों हैं, उनका नाम भी वही है, जो हिन्दू शैड्यूल्ड कास्ट का नाम है, उनका पेशा भी वही है, जो हिन्दू शैड्यूल्ड कास्ट का पेशा है। उनको क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? कब शामिल किया जाएगा? अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है और देश मे उस पर बड़ा शोर मचा, मगर मायोरिटी के लोगों, खासकर मुसलमानो ने इस रिपोर्ट को पॉजिटिवली लिया है। सच्चर कमेटी ने सिफारिश की है कि मजहब बदलने से इंसान की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और तालीमी हालत नहीं बदल जाती है। इसलिए मुसलमानों में भी दलित हैं और उन्हें भी शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस मिलाना चाहिए।

महोदय, सच्चर कमेटी ने उन जातियों के नाम भी गिनाए हैं, मगर आपने मुझे कम समय दिया है, इसलिए सिर्फ दो, तीन जातियों के नाम मैं कहना चाहता हूं। महोदय, हिंदू धोबी शेड्यूल्ड कास्ट है, मुस्लिम धोबी शेड्यूल्ड कास्ट क्यों नहीं होगा? वह भी कपड़े धोता है। हिंदुओं में हलखोर होता है और मुसलमानों में हलालखोर होता है। वह भगी का काम करता है, मैहतर का, डोम का काम करता है, उनमें एक शेड्यूल्ड कास्ट होगा तो दूसरा शेड्यूल्ड कास्ट क्यों नहीं होगा? महोदय, एक जाति का नाम भटियारा है, गदहेड़ी है। मुसलमान में मोची होता है, हिंदुओं में चमार होता है। वह भी चमड़ा छीलता है, पकाता है, जूते बनाता है, जूते सीता है। मुसलमान मोची भी वही काम करता है और उसका भी वही नाम है। महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चर कमेटी ने कहा है और मंत्री महोदया सच्चर कमेटी के बाद आप यह विधेयक ला रही हैं, तो आपने इस बात को क्यों नजरंदाज किया? अब मैं सच्चर कमेटी से आगे रंगनाथ मिश्र कमीशन

की बात करता हूं। सच्चर कमेटी तो प्राइम मिनिस्टर की हाई–पावर कमेटी है, लेकिन रंगनाथ मिश्र कमीशन उससे भी पावरफुल चीज है। रंगनाथ मिश्र कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी आपके हवाले कर दी है, लेकिन वह सदन की मेज पर नहीं आई है। श्री रंगनाथ मिश्र कमीशन ने भी कहा है कि मज़हब की पाबंदी को हटाओ। उसने कहा है कि हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में और दूसरे मज़हबों में भी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। उस ने यह साफ–साफ कहा है। उसने बताया है कि संविधान में भी कहा गया है कि मज़हब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपने मुसलमानों को रोक रखा है, अगर ईसाईयों को रोक रखा है, तो यह मजहब के आधार पर भेदभाव करने के बराबर है। तो आप रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नजरंदाज कर रहे हैं? वह आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है और आपकी सरकार ने उसे बनाया था, फिर आप इस विधेयक में उनकी सिफारिशों को क्यों शामिल नहीं करते?

महोदय, धारा 341 की बात इसमें कही गयी है। इसमें लिखा गया है कि धारा 341 में जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, उसमें किसी मजहब के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। जब संविधान सभा की बहस चल रही थी तो उस समय सिख दलित बोलेम कर रहे थे कि हम को भी यह स्टेटस मिलना चाहिए। वह उस समय उन को नहीं मिला, लेकिन 1950 में वह उन्हें मिल गया और दलित सिख शामिल हो गए। बाद में वी.पी. सिंह जी की सरकार आई और उन्होंने नव–बौद्धों को भी इस में शामिल किया। नरसिंह राव जी की सरकार आई, उन्होंने ईसाइयों को शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल करने का बिल present किया। वह बिल अभी तक pending है। अब मुसलमान मांग कर रहे हैं, ईसाई मांग कर रहे हैं। बिहार विधान सभा ने सन् 2000 में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि मुसलमानों को शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया जाना चाहिए। उसी तरह का प्रस्ताव इसी साल उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने भी पास कर केन्द्र सरकार को भेजा कि मुसलमानों को शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इस में मज़हब के नाम पर भेदभाव हो रहा है।

महोदय, आज के अखबार में हमने समाचार पढ़ा कि अंतुले साहब मुसलमानों की आबादी के इलाके में कंडोम बांटेंगे। इस तरह अंतुले साहब क्या message देना चाहते हैं? सच्चर कमेटी ने यह सिफारिश की है कि मुसलमानों के इलाके में आप कंडोम बांटेंगे? आप उनको इस तरह से गाली मत दीजिए। यह उनको गाली देने के बराबर है। वे गरीब लोग हैं, मज़लूम लोग हैं, भूखों मर रहे हैं और आप उनके बीच में कंडोम बांटेंगे? वे मांग कर रहे हैं कि हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं।

महोदय, मैं गांधी आजाद जी से भी कहना चाहता हूं कि आप दलित मूवमेंट चला रहे हैं, उसमें आप को मुसलमान मिलेगा, ईसाई मिलेगा। मैं मीरा कुमार जी से भी कहना चाहता हूं कि आपको इनमें मुसलमान और ईसाई मिलेगा। यह मज़हब की दीवार जब हटेगी और सभी मज़हबों के दलित अगर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक मूवमेंट में चलेंगे तब जाकर वह complete दलित मूवमेंट होगा। उस में अधूरा दलित मूवमेंट नहीं चलेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please conclude.

श्री अली अनवर: एक सेकेंड, सर। बहुत बातें कहनी हैं, लेकिन समय नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि भंडारी साहब जब बोल रहे थे, उनकी पूरी बात हम सुन नहीं पाए। हम यह नहीं सुन पाए कि उन्होंने दलित मुसलमान की बात उठाई या नहीं। भंडारी साहब की पार्टी ने भी कहा है, पार्लियामेंट से बाहर वह बोलती है, अब पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने मुस्लिम दलित की बात, ईसाई दलित की बात बोली या नहीं बोली, हम नहीं जानते, हमने नहीं सुना। मोहतराम वृंदा कारत जी बोल रही थीं। उनकी पार्टी का रेजोलूशन हमने पढ़ा है, उनकी पार्टी के पोलित ब्यूरो का भी दलित मुसलमानों के बारे में रेजोलूशन है। आज जब वह बोल रही थीं, तो उन्होंने

मेंशन नहीं किया। शायद छूट गया होगा, उनकी नीयत पर हम संदेह नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी भी यह मांग है। जब माननीय अमर सिंह जी बोल रहे थे, जिन्हें मुलायम सिंह जी की सरकार ने भेजा है, जो बाहर इस बात को कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में यहां यह बिल पेश हुआ है, वहां उन्होंने इस बारे में मेंशन नहीं किया। अभी डी. राजा साहब बोल रहे थे। ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Ali please conclude. You are not speaking about the Bill. You are speaking about what others did not say. What is this?

श्री अली अनवर: एक मिनट, सर। अभी डी. राजा साहब बोल रहे थे। उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You please conclude. If you want to criticise what others have said it is okay, but what others did not speak, why should you criticise? Please conclude.

श्री अली अनवर: हम दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का भी यह स्टैंड है। ...**(व्यवधान)**.. मतलब, सारी पार्टियां, नेशनल पार्टियां इस मांग का सपोर्ट कर रही हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your time is over. Please...

श्री अली अनवर: इसलिए हम मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं कि वह इस विधेयक में इन सारी चीजों को देखें और मुस्लिम दलित, ईसाई दलित को भी इसमें शामिल करें। ...**(व्यवधान)**

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): सर, अली अनवर जी डी. राजा की बात कर रहे थे। ...**(व्यवधान)**.. आप भारतीय जनता पार्टी की बगल में बैठे हुए हैं। नेशनल पार्टी में डी. राजा साहब की पार्टी है और हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सबका यह स्टैंड है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, Mr. Mandal, you are the next speaker. मंडल साहब, आपको टाइम मिला है। ...**(व्यवधान)**...

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will call your name. Your name is here. I will call you next. Please... *(Interruptions)*

श्री मंगनी लाल मंडल: डी. राजा साहब ने कहा है कि नहीं, ईसाई दलित में जो परिवर्तन हुआ है, मुसलमान को भी दें रिजर्वेशन। ...**(व्यवधान)**...औरों ने भी समर्थन किया है, खाली अली अनवर साहब ने समर्थन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया है। ...**(व्यवधान)**

श्री अली अनवर: सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं मंगनी लाल मंडल जी से यह कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बी.जे.पी. की बात नहीं करता, मैं अपने जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... आप सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)** हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर से कहा था। ...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, please conclude, Mr. Ali. I gave you five minutes. It is over. Your five minutes are over. *(Interruptions)*

श्री अली अनवर: हमारे नेता नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट के फ्लोर से दलित मुसलमानों और दलित इसाईयों की बात को उठाया है। हमारी पार्टी की यह नीति है। बी.जे.पी. के लोग अगर वह विरोध करते हैं, वह उनके पल्ले की बात है। आप भी तो बाहर समर्थन करते हैं। ...**(व्यवधान)**...यह *आपका है। आप यहा आकर के नहीं बोलते हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Mandal, please take your seat. Please take your seat, Mr. Ali. This is not a place for slogans...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Mr. Ali Anwar, please conclude. *(Interruptions)* Please take your seat. Now, Mr. Mandal...

श्री अली अनवर: बहुत बहुत शुक्रिया, साहब।

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, यह * जो कहा है, इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)** सर, उन्होंने कहा है कि * है। या तो इस * शब्द को आप कार्यवाही से निकालिए, या नहीं तो, यह *मेरी पार्टी का नहीं है, हमारे नेता का नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Mandal, I will go through the records. If there is anything unparliamentary, it will be expunged. Okay. Do you want to speak, Mr. Mandal?

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, यह असंसदीय शब्द है। इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, Now, Mr. Tapan Kumar Sen.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I stand to support the Bill. I will just draw your attention to certain basic points. I support the Bill, but, at the same time, I plead that one should not plead for conflicting position together at a time. This bill is for the empowerment of the *Dalits*. But, at the same time, your economic policy, your philosophy of governance is moving in the opposite direction and that is why even after 60 years of independence and the reservation provision, the quota is not yet fulfilled in all the Government jobs. At the same time, now, you are pleading for privatisation which is taking away further the right for reservation for these dalit communities. Every day, the number is going down. On the other hand, you talk about reservation in the private sector. But, you are allowing them and you are soft-peddling on them by saying that it should be voluntary. You are telling the lion to eat the grass. I think, this contradictory position should be stopped and the kind of distributive perversion that has been generated in the economy, because of the economic policy regime you are following, where 80 per cent of 40 crore unorganised sector workers, majority of them are from SC/ST communities, are living with below Rs. 20 a day must be reversed. This is as per the Report of the Commission appointed by your own Government. I think, you need to ponder over this issue seriously, if you are serious about empowerment of the most downtrodden sections of the society. While supporting this Bill, I urge upon the Government also to ponder over this contradictory thing they are indulging in. Thank you. (Ends)

श्री धर्म पाल सभ्रवाल (पंजाब): मैं अपनी बात 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा, मुझे बहुत लम्बा-चौडा भाषण नहीं करना है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007* के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत अच्छी चर्चा हाउस में हुई है, खासकर मैं अपने उन साथी सांसदों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने बड़े ही विशाल हृदय से इसका समर्थन किया। पर, मैं यह बात कहने से भी नहीं चूकता कि हमारा अंदर कुछ और चेहरा होता है और बाहर समाज में जाकर कुछ और चेहरा होता है, अगर हमारा चेहरा एक रहे तो यह जातिवाद खत्म हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ राज्यों ने, जैसे हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और छत्तीसगढ़, महसूस किया कि कुछ जातियां, जो अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज होनी चाहिए, वे पीछे रह गई हैं। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भारत सरकार को भेजीं कि इन जातियों को भी इस सूची में दर्ज किया जाए। आज उस विधेयक, उस आदेश के मुताबिक हम इस बिल को लेकर आए हैं, जिसका समर्थन सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने किया है। जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि जो समस्या अनुसूचित जाति की है, दलित मुस्लिम की भी समस्या वही है, जो दलित इसाई हैं, उनकी समस्या भी वही है और उनकी समस्या की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह समस्या कैसे हल हो पाएगी, इसके लिए सबसे बड़ी बात शिक्षा है। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, उसमें जो गरीब अनुसूचित जाति के लोग हैं, यदि उनको बुनियादी शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसका लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। आज प्राइमरी शिक्षा खत्म हो गई है। आज जो लोग पैसे खर्च करके उच्च शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, वही अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब तक जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो समृद्धिशाली हो गए हैं, वे अपने आपको खुद सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक जो लोग पीछे रह गए हैं – जो जूते में टांका लगाने वाला है, जो गंदगी को साफ करने वाला है, जो घास खोदने वाला है, जो चमड़ा उतारने वाला है, उसका बच्चा इस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उन्हें इस बात की तरफ देखना चाहिए और उन लोगों को voluntarily अपना अधिकार समाज के इन लोगों के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे जो पीछे रह गए हैं, वे आगे आ सकें। आज 60 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं और आज जो लोग पीछे हैं, वे और पीछे होते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति में भी आज वर्गीकरण हो गया है। जो समृद्धिशाली लोग हैं, वे अपनी बेटी और रोटी का रिश्ता समृद्धिशाली लोगों से ही करते हैं और जो गरीब है, गरीब का बच्चा प्राईमरी शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो यह जात–पात को कैसे खत्म किया जाएगा? यह सूची तो और बढ़ती जाएगी और इसका कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैं आपके द्वारा समाज से और इस देश के अनुसूचित जाति में बस रहे उन धनाढ्य पुरुषों से यह विनती करना चाहता हूं कि वे अपने आपको समर्पित करें और उन गरीब, अनुसूचित जाति के बच्चों को adopt करें और उनको शिक्षा दिलाएं ताकि जो लोग समाज में पीछे रह गए हैं, वे आगे आ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र साहनी (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज तक कभी भी इसका स्मरण नहीं किया गया है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों मिलाकर एक ही राज्य था। वर्ष 1912 में बंगाल अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। यह कैसी विडंबना है कि फिशरमैन कम्युनिटी ऐसी है, जो बंगाल में scheduled castes में है, उड़ीसा में scheduled castes में है, why not in Bihar? बिहार में क्यों नहीं है? यह बहुत सोचने की बात है और इस पर सोचा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार ने बार–बार अत्यंत पिछड़े समाज की लिस्ट इस recommendation के साथ यहां भेजी कि इनको scheduled castes में शामिल किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदया, क्या यह file गई हुई है? कुछ लोग कहते हैं कि लौटा दी है, फिर उसका जवाब भी आया है, लेकिन आज तक इस संबंध में इस हाउस में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए हम पिछड़े वर्ग के लोग और अति पिछड़े वर्ग के लोग यह महसूस करते हैं कि

हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदया से आग्रह करता हूं कि इस बिल का तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इस शर्त के साथ समर्थन करता हूं कि जो recommendation बिहार से आया है, जब उड़ीसा और बंगाल में fishermen scheduled castes में हैं, तो Why not in Bihar? वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। धन्यवाद।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra); Sir, the Bill is not about providing any special additional advantages to any part of the Scheduled Castes. The Bill is about correcting the list of those who fall into the list of the Scheduled Castes. The debate so far has kept itself away from this main subject. That is why, I asked for the floor. I have some doubts, and, I think, the hon. Minister will do well to give explanations to these points. Number one, this is an amendment to the Order. This is not a Constitutional Order. The way it has been worded and the way it has been printed, there is some kind. of a misconception even amongst those who took part in the debate that this is possibly a constitutional amendment. This is not a Constitutional amendment. It is merely an amendment to an order, and the work could have been easily done by another order rather than by presenting a Bill. Why was it considered necessary to have a Bill on the subject when there is no Act on reservation itself? The whole reservation continues on the basis of Government notifications. Under the enabling provisions of the Constitution when the reservation and other advantages are provided without an Act, why was it considered necessary to have a Bill to amend the order?

The second point is this. And, this appears by way of clarification. I do not think there are many castes which are being newly added. In most cases, it is a matter of linguistic or regional variations for the names of the same caste. I am not quite aware of the situation in Haryana and Punjab. But, in Maharashtra, for example, Chamaar, Chamaara, Chamaar-Ravidas, Chamaar-Rohidas etc. these are all regional variations. No particular new caste is being added. If that is so, the question that arises is this. When the reservation and other advantages were provided, did we really know to whom these advantages were addressed? This is a question that the Supreme Court has also recently asked. Do you know, who are the people, who are supposed to benefit out of the social welfare measures that you are trying to take?

The last point is this. Fifty years after the reservations, or, in fact, now 57 years after the original order, this amendment has been brought. And, this has been brought 2 1/2 years before the entire question of reservations is to come on the anvil to find out if any extension should be given. Those people who talked of Dr. Baba Saheb Ambedkar forget that according to his recommendation, the reservation should have got over way back ten years after the introduction of the provision. We have stretched it to 60 years, and now we are supposed to review it 2010. And new things are happening. I must join the BSP people, even though I do not belong to BSP, about the very courageous action that is being taken by Miss Mayawati now. She has come out very Clean break and is offering an entirely different formula for the reservations; 10 per cent for the Scheduled Castes, 10 per cent for the OBCs and 10 per cent on the basis of economically disadvantaged people. New experiments are being done, and you are still thinking of tinkering with the old arrangements which have failed in any case. Now, I would like the Minister to given an explanation on these three things. Why are you proposing a Bill at all when simply an order could have done the work? Does it relate to linguistic differences or is there a substantial difference? And, why are you doing it just 2 1/2 years before the whole question is to be revisited?

श्रीमती मीरा कुमार: महोदय, 18 सम्मानित सदस्यों ने आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण डिबेट में हिस्सा लिया है। सब ने बहुत दिल से, भावना से, बल्कि मैं कहूंगी पीड़ा के साथ इसमें हिस्सा लिया। मैं बहुत ध्यान से सभी की बातें सुन रही थी। सभी दलों के, सभी प्रांतों के सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। हालांकि बिल से संबंधित विषय अत्यंत सीमित है लेकिन जब भी अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी बिल आता है तो भावनावश, हृदय में इतना उद्‌गार होते हैं कि उन्हें प्रकट करने के लिए...।...दिल के अंदर जो दर्द होता है, उसे मुखर करने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित जितने भी पहलू हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सब पर विचार आते हैं और इन सब विचारों को, इन सब सुझावों को मैंने लिखा है। हमारा मंत्रालय बहुत से विचारों और सुझावों पर कार्य कर रहा है। जिन पर कार्य नहीं हो रहा, उन पर आगे होगा, यह आश्वासन मैं देना चाहती हूं।

सबसे पहले मैं, जो सबसे अंतिम वक्ता थे, उनकी शंका का निराकरण करना चाहती हूं। उन्होंने यह पूछा कि आप यह बिल क्यों लाईं? जब यह संविधान का संशोधन करने के लिए नहीं है, तो इसे लाने की क्या आवश्यकता थी? मैं उन्हें यह बताना चाहूंगी कि जब संविधान मे आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो ऐसी सूचियां बनीं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। 1950 में यह दोनों सूचियां संविधान में सम्मिलित की गईं। 1950 में सभी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित थीं, उनकी संख्या मात्र 607 थी। कालान्तर में, समय-समय पर यह महसूस हुआ कि उस सूची में 1950 में सभी अनुसूचित जातियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए विभिन्न प्रांतीय सरकारों से ये प्रस्ताव आते रहे कि उन जातियों को भी, उन जनजातियों को भी संविधान की इस सूची में सम्मिलित कर लिया जाए। आज संविधान में अनुसूचित जाति की जो सूची है, वह 607 से बढ़कर 1206 हो गई है। बहुत सी जातियां इसमें सम्मिलित की गई हैं। यह संविधान संशोधन बिल नहीं है, लेकिन क्योंकि संविधान में सम्मिलित एक सूची में हम बदलाव कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए एक प्रक्रिया बनी है। प्रक्रिया कठिन है और जटिल है। इसलिए कठिन और जटिल है कि अगर वह ऐसी न हो, तो अनुसूचित जाति के रूप में अस्पृश्यता, आर्थिक कठिनाई, सामाजिक विद्वेष, और भी बहुत कुछ जो सह रहे हैं, हो सकता है उन्हें इस सूची में जगह न मिले और जो इन कठिनाइयों को नहीं सह रहे हैं, हो सकता है उन्हें इसमें जगह मिल जाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस प्रक्रिया को कठिन और जटिल बनाया। फिर भी इतना कठिन और जटिल नहीं बनाया कि जो वास्तव में इस सूची में होने चाहिए, वे इसमें स्थान न पा सकें। इसीलिए जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अवश्य इसमें जगह दी जाती है, तभी 607 से बढ़कर उनकी संख्या 1206 हो सकी है। मैं ऐसी आशा करती हूं कि आपने जो शका व्यक्त की थी, उसका निराकरण मैंने कर दिया है।

मैं जनजाति पर इस समय नहीं बोल रही हूं। हालांकि पहले इसी मंत्रालय से अनुसूचित जनजाति के संबंध में भी कार्यवाही की जाती थी, लेकिन अब किन्डिया जी उसके मंत्री है, वह एक अलग मंत्रालय है, इसलिए मैं अपने को अनुसूचित जाति तक ही सीमित रखूंगी। महोदय, दो बहुत ही सख्त कानून बने हैं। अनूसचित जाति को यह दर्जा इसलिए दिया गया है। मैं यहां पर वृंदा कारत जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह बहुत दुख का विषय है कि आज भी हमारे समाज में जाति-पॉति है, आज भी हमारे समाज में अस्पृश्यता है, आज भी हमारे समाज में भेदभाव है। काल का चक्र सब कुछ बदलकर रख देता है लेकिन भारतीय समाज की यह विडम्बना है कि कालचक्र को भी जाति व्यवस्था ने चुनौती दे दी है और काल भी इसे बदल नहीं सका है - यह दिन-पर-दिन और मजबूत होती जा रही है। यह दुख का विषय है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जातियों और पॉतियों के लिए क्या करने की सोच रहे हैं। हमें तो अब इस पर आ जाना चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए, कटिबद्ध हो जाना चाहिए कि जातियों और पॉतियों को खत्म कैसे करना है। असली मुद्दा, बुनियादी मुद्दा तो वह होना चाहिए। एक

दिन हमें इस पर बहस करनी चाहिए कि हम क्या करें जिससे हम जाति और पाँति का यह कलंक अपने देश के माथे से हमेशा के लिए मिटा दें अगली सुबह जो होगी, वह ऐसे हिन्दुस्तान में होगी जहां न कोई जाति है न कोई पाँति है। हमें यह बात करनी चाहिए। आज भी दूर्वादल स्तर पर समाज की जो वास्तविकता है, जो जमीनी असलियत है, वह यह है कि छुआछूत होता है। आज भी स्कूलों में बांटने के लिए जब मिड–डे–मील बनाना होता है और अगर एक दलित महिला उसे बनाती है तो स्कूल के बच्चों को यह सिखलाया जाता है, हमारी नयी पीढ़ी को यह सिखलाया जाता है कि इनके हाथ का नहीं खाओ। कैसे बदलेंगे हम इस भारत को? बहस का मुद्दा यह होना चाहिए। आज हमारे यहां दो बहुत सख्त कानून हैं। एक है – अस्पृश्यता विरोधी कानून – जो 1955 में बना था और 1976 में जिसका फिर से नामकरण करके उसे पीसीआर एक्ट कहा गया। दूसरा कानून जो 1979 में बना है, वह है – अत्याचार विरोधी कानून। एक ही समाज में रहने वाले, एक ही देश में रहने वाले, एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में इस हद तक वैमनस्य और भेदभाव है कि अगर एक की परछाई दूसरे पर पड़ जाए तो वह अपने आपको contaminated, अपने आपको नापाक, अपने आपको गंदा महसूस करने लगता है। यह इस समाज का चलन है। आज भी सबसे दुख की बात मुझे यह कहने को है कि पी.सी.आर. एक्ट को, जो छुआछूत के खिलाफ है, हम इर्रिलिवेंट और अप्रसांगिक नहीं बना सके हैं। आज भी मेरे मंत्रालय में इसको कैसे संशोधित करके और कारगर बनाया जाए, इस पर कार्य चल रहा है। इस पर कार्य नहीं चल रहा है कि अब इस कानून की हमारे मुल्क में जरूरत नहीं रही। यह दुख का विषय है। यह और भी दुख का विषय है। कि जिनके साथ छुआछूत की जाती है, छुआछूत कर देने से सिर्फ हम उनको आर्थिक रूप से कमजोर नहीं बनाते हैं, सामाजिक रूप से कमजोर नहीं बनाते हैं, हम उनके आत्म विश्वास को चकनाचूर कर देते हैं, उसकी आत्मा को पंगु कर देते हैं, मात्र छुआछूत, अस्पृष्यता बरतने से। जिस पर हम छुआछूत बरतते हैं हम वहीं तक सीमित नहीं रहते उस पर अत्याचार भी करते हैं। यह दुख का विषय है। आज तो चर्चा यह होनी चाहिए कि यह दोनों कानून अब इर्रिलिवेंट हो गए हैं, इनकी अब हमारे मुल्क में, हमारे समाज में जरूरत नहीं रही है। मुल्क, देश और समाज बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन चर्चा तो इस बात की होती है, आज भी हमारे मंत्रालय में इस पर अधिकारी लगे हुए हैं कि हम इन कानूनों को और ज्यादा सख्त कैसे बनाएं, ताकि भेदभाव पर काबू रख सकें, अत्याचार पर काबू रख सकें। हमने राभी सम्मानित सांसदों को पत्र लिख करके भी सूचित किया है कि इस वर्ष को अस्पृष्यता और अत्याचार विरोधी करार दिया है। मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिख कर कहा है। अभी दो दिन पहले मैं मुम्बई गई थी, मैंने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है जो अस्पृष्यता और अत्याचार के ऊपर निगरानी रखे, क्योंकि हमारे fedral structure में कानून तो हम बनाते हैं लेकिन उसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों को दे देते हैं। मुझे कहते हुए दुख होता है, चिंता होती है कि इतनी सारी अत्याचार की घटनाएं होती हैं, छुआछूत की घटनाएं होती हैं लेकिन conviction नहीं होता, दो परसेंट conviction होता है., तीन परसेंट conviction होता है, 96 परसेंट acquittal हो जाता है। जब मर्डर हुआ है खून हुआ है, रेप हुआ है, आगजनी हुई है तो कोई न कोई तो उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन कोई जिम्मेदारी किसी पर नहीं आती है, किसी को सजा नहीं मिलती है, conviction नहीं होता है, वे सब लोग छूट जाते हैं। क्योंकि ये जो अपराध हुए हैं समाज के सबसे निचले तबके पर हुए हैं जिनके साथ कोई नहीं है। आज हिन्दुस्तान के समाज की ground reality यही है कि वह भी चुप लगा जाता है। लोग कहते हैं कि हमें गवाह नहीं मिल रहे, एविडेंस नहीं है। एविडेंस इसलिए नहीं है, गवाह इसलिए नहीं है, वह बेचारा समझौता इसलिए कर लेता है जिसने अपने ही घर की किसी महिला पर रेप होते हुए देखा, वह इसलिए समझौता कर लेता है क्योंकि उसको उसी गांव में रहना है, उसी कुंए से पानी पीना है, वहीं के बड़े लोगों के यहां खेती करनी है। यह इस देश के समाज की, यहां की आर्थिक व्यवस्था की ground reality है इस पर बहस होनी चाहिए। हमने एक award भी रखा है, हम प्रोत्साहित करना

3.00 P.M.

चाहते हैं civil society को, हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं एन.जी.ओज. को, कि आगे आओ और इस पर काम करो अस्पृष्यता के खिलाफ attitudinal change लाओ। You cannot legislate on attitudes, मानसिकता पर आप कानून नहीं बना सकते। कानून की अपनी एक सीमाएं होती हैं। कानून बनाकर के दिमाग नहीं बदला जा सकता है। हमने इसीलिए एनजीओज को कहा है कि तुम यह काम करो, दिमाग बदलने का काम करो, लोगों की सोच बदलने का काम करो, और हम उनको अवार्ड देंगे।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

ये सब जो अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं और जो छुआछूत हो रही है, उसके विरुद्ध जो हम काम कर रहे हैं, वह हम आपको बता रहे हैं। एक बहुत भयंकर स्थिति है जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया। मैं सोच रही थी कि इसका जिक्र आयेगा, हमारे यहां एक प्रथा रही है, बड़ी घृणित प्रथा रही है – हाथ से मैला उठाने की, गंदगी उठाने की और उसको सिर पर लेकर टोकरी में ढोने की। यह बहुत ही घृणित प्रथा रही है। वर्ष 2009 के मार्च तक हमने बीड़ा उठाया है कि हम इस प्रथा को समाप्त करेंगे और इस प्रथा में जो लोग लगे हुए हैं, उनको पुनर्वासित करेंगे। यह भी अत्याचार का एक नमूना है, जिसके बारे में हम काम करना चाहते हैं।

यहां पर डा. राधाकांत जी बोल रहे थे, "Merit needs to be redefined." जो आता है, वह अनुसूचित जाति पर एक आरोप लगाकर चला जाता है। They are accused. All the time, they are accused. You forget that these are the craftsmen whose craft is admired all over the world. These are the people who work with their hands. आज जो पब्लिक स्कूल की शिक्षा है, जो अंग्रेजी बोलने की शिक्षा है, उसका अपना एक मापदंड मैरिट का है, योग्यता का है और उस मापदंड पर हमारे अनुसूचित जाति वाले, जिनके हाथ में एक से एक हुनर है ज्ञान है, जिसको वे परम्परा से, पीढ़ियों से अपने पास संजोए हुए हैं। वे सब इसमें फेल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास मैरिट नहीं है। वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, कांवेंट और पब्लिक स्कूल की उनके पास शिक्षा नहीं है, डा. राधाकांत जी, शायद चले गये। हम एजुकेशन के मामले में भी बहुत कुछ कर रहे है। हमने प्राईवेट सैक्टर में आरक्षण की बात उठायी है, बात चल रही है। जब हमने आरक्षण की बात उठायी, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ाया करिए। हम जब भी एस.सी. की बात करते है, तो सब पहले उपदेश सुनाना शुरू कर देते हैं। मुझे उपदेश बहुत सुनाते हैं। आप पढ़ाइये। Long sermon I receive. हमने कहा कि हम पढ़ा रहे हैं। एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि बहुत ऊंची–ऊंची फीस होती है, जो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको जो Institute of Excellence बने हैं, जो उत्कृष्ट शिक्षा के संस्थान बने हैं, वहां बहुत बड़ी–बड़ी फीस लेते हैं। तो उसका क्या समाधान हो सकता है? क्या अनुसूचित जाति के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ेंगे? अगर वहां नहीं पढेंगे, तो यह जो नया consumeristic मापदण्ड निकल कर आया है, जो हमारा नया कल्चर है, जो उपभोक्तावादी नयी संस्कृति पनप रही है, इसमें बढ़िया अंग्रेजी बोलने वालों ने जो एक नया मापदंड मैरिट का, योग्यता का बनाया है, इसमें हमारे अनूसूचित जाति के युवक और युवतियां कैसे फिट होंगे? इसीलिए हम टॉप क्लास एजुकेशन की स्कीम लेकर आये हैं। उसमें कितनी भी फीस हो, वह हम देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी फीस हो, बशर्ते वह एडमिशन वहां ले ले, क्योंकि वह फीस नहीं दे पा रहा है इस वजह से उसको उस संस्था को नहीं छोड़ना पड़ेगा। हम पूरी फीस देते हैं और हम हर महीने तीन हजार रुपए stipend भी देंगे। हम 45 हजार रुपए कम्प्यूटर के लिए देंगे, हम तीन हजार रुपए किताबें खरीदने के लिए देंगे। जहां तक साधनों का संबंध है, हम किसी भी मायने में कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। देश में शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी टॉप क्लॉस एजुकेशन/इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबकी

हमने अलग–अलग एक सूची बनाई है। जो उनमें एडिमिशन लेगा, हम उनको पढ़ाएगे। बाहर भी भेजेंगे/overseas एजुकेशन देंगे। हमारे युवक और युवतियां विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं खासतौर से उन्हें कहना चाहती हूं जो यह कहते हैं कि इनमें मैरिट् नहीं हैं। जो विषय हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाए जाते, हम अपने बच्चों को ऐसे विषय पढ़ने के लिए विदेश के विश्वविद्यालयों में भेजेंगे और उनका पूरा खर्च वहन करेंगे। हम अब तक ऐसे बीस छात्र बाहर भेजते थे। अब हमने उनकी संख्या बढ़ाकर तीस कर दी है। अगर हमारे पास तीस से ज्यादा एप्लीकेशन्स आएंगी तो हमने यह मन बना लिया है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम एजुकेशन के क्षेत्र में यह कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो योग्यता की नई परिभाषा बनी है, हमें यह स्वीकार्य नहीं है। जो योग्यता की हमारी पुरानी परिभाषा है, जो हुनर है, हम उसको डी–वैल्यु नहीं होने देंगे। हम उसकी कीमत को घटने नहीं देंगे। योग्यता की नई परिभाषा में हमारे छात्र और छात्राएं खरे उतरें, इसके लिए भी हमारा मंत्रालय कार्य कर रहा है।

कुछ बातें नमोशूद्र के बारे में उठी हैं। नमोशूद्र कम्युनिटी आसाम में, मणिपुर, उड़ीसा, वैस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में ये अनुसूचित जाति हैं। हमारे पास यह मांग आई थी कि उत्तरांचल जो अब उत्तराखंड है, यहां इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सहमति लेना परम आवश्यक है। उसने इसमें अपनी असहमति व्यक्त की है। हमने 2003 में यह वापस भेज दिया कि RGI ने और जो–जो जानकारियां मांगी हैं, वे हमें दीजिए। हमारे पास आज तक वे जानकारियां नहीं आई हैं। छत्तीसगढ़ में RGI ने अपनी असहमति व्यक्त कर दी है। हमने दिसम्बर, 2005 में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को लिखा है कि RGI ने जो–जो जानकारियां मांगी हैं, वे हमें भेजिए। अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में RGI ने यह कहा है कि ethnographic डिटेल्स और मंगाइए। हमने उन्हें 23 नवम्बर, 2005 को चिट्ठी लिखी है कि ethnographic डिटेल्स और भेजिए। दिनांक 6 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश सरकार से मेरे पास पत्र आया, जिसमें लिखा था कि पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित बंगाली नमोशूद्र पौंड एवं माल जातियों को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की संस्तुति निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम रखी जाए। उन्होंने खुद ही कहा है कि इसको कैंसल कर दिया जाए। 6 जून...**(व्यवधान)**...निरस्त कर दिया। मना कर दिया। जब तक उनका प्रस्ताव नहीं आता मैं यहां से कुछ नहीं कर पाती हूं।

श्रीमती वृंदा कारत: यह कैसे हो सकता है।

श्रीमती मीरा कुमार: नमोशूद्र की ही सबसे ज्यादा चर्चा थी। कोंडपन जी चले गए हैं। वे एक प्राइवेट मैम्बर बिल लाए थे। जिस विषय पर, आज उन्होंने जिसकी चर्चा की, बहुत विस्तार से मैंने पहले उस पर चर्चा की थी। उनके पास इसकी सारी जानकारी है ।

लगभग सभी सदस्यों ने एक बात कही, जिसका मैं विस्तार से उत्तर देना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के जो लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत में चले जाते हैं, कई दफा ऐसा होता है कि उन्हें फिर वहां अनुसूचित जाति नहीं माना जाता।

क्षमा करेंगे, मैं बिहार का भी बता दूं, उसके बाद उस पर आऊंगी। बिहार में आपने कहा कि आपने ग्यारह प्रस्ताव भेजे। आपने ग्यारह प्रस्ताव नहीं भेजे हैं...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम देव भंडारी: ग्यारह प्रस्ताव नहीं, ग्यारह जातियों की बात कही है।

श्रीमती मीरा कुमार: जी हां, मैं बता रही हूं। मैं आपको बता रही हूं। मेरे पास यह सब है। आपने ग्यारह नहीं भेजे थे, आपने सत्तावन प्रस्ताव भेजे थे। सत्तावन प्रस्तावों में हमने सभी को पत्र लिखा है। मैं आपको भेज दूंगी। बिहार सरकार को मई, 2000 में पच्चीस प्रस्तावों के बारे में, 2002 में अन्य नौ प्रस्तावों के बारे में और 2005 में बाकी के बारे में...**(व्यवधान)**...

श्री मंगनी लाल मंडल: जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो विषय उन्होंने उठाया है, उस विषय पर नहीं है।

श्रीमती मीरा कुमार: नहीं, उसी विषय पर है।

श्री मंगनी लाल मंडल: जो राज्य का आयोग है, संविधान सम्मत जिसको करना है, उत्तर प्रदेश के बारे में, जैसाकि इन्होंने बताया कि उन्होंने निरस्त कर दिया, मैं नहीं कर सकती, इन्होंने ठीक कहा। बिहार में जो अनुसूचित जाति आयोग है, उसने कुछ जातियों को शामिल करने के लिए रिकमेंड किया...**(व्यवधान)**...पिछड़ी जातियों को...**(व्यवधान)**...

श्रीमती मीरा कुमार: एक मिनट...**(व्यवधान)**...I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री मंगनी लाल मंडल: राज्य सरकार ने क्लियर...**(व्यवधान)**...की है। 57 प्रस्ताव... **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मंडलजी...**(व्यवधान)**.

श्रीमती मीरा कुमार: नहीं, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप क्लैरिफिकेशन्स बाद में पूछिए।

श्रीमती मीरा कुमार: मैं आपको सब कुछ बता रही हूं। विस्तार में बता रही हूं।

श्री उपसभापति: बता रही हैं। बाद में कीजिए। पूरी बात सुनकर कीजिए।...**(व्यवधान)**..

श्रीमती मीरा कुमार: मैं सब कुछ बता रही हूं। मैं यह जानकारी आपको भेज दूंगी। यह पूरा विस्तार से आपको भेज दूंगी। सभी के बारे में जो प्रक्रिया है, वह यह है कि राज्य सरकार अपना प्रस्ताव हमें भेजती है। हम अपने मंत्रालय से उसे आर.जी.आई. के पास भेज देते हैं। आर.जी.आई. उसका इथनोग्राफिक डिटेल मांगती है। अगर आर.जी.आई. कहती है कि इसका इथनोग्राफिक डिटेल चाहिए तो हम वापस राज्य सरकार के पास भेज देते हैं कि आप वह सब डिटेल भेज दीजिए। यह सत्तावन के सत्तावन प्रस्ताव राज्य सरकार को गए हैं कि आप इसका इथनोग्राफिक डिटेल भेज दीजिए। बाकी मैं आपको यह भेज दूंगी।

मैं बता रही थी कि जो एस.सी. माइग्रेट कर जाते हैं, उसके बारे में अधिकांश सम्मानित सदस्यों का यह सुझाव था कि उन्हें यूनिफार्म ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पूरे देश में सभी को चाहे वे इधर से उधर चले जाएं उन्हें एस.सी. मानना चाहिए। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या प्रावधान किया है और बाद में इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है। हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास भी uniform नहीं है। कई ऐसे प्रान्त हैं, जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, कई ऐसे प्रान्त हैं, जो पीछे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। प्रान्तों के अन्दर भी जो विकास है, वह बराबर नहीं है। एक ही प्रान्त में कुछ जिले ऐसे हैं, जो आगे बढे हुए हैं, कुछ जिले ऐसे हैं, जो आगे नहीं बढ़े हुए हैं। पूरे देश में, चाहे वह पिछड़ा हुआ राज्य हो या समृद्ध राज्य हो, चाहे वह पिछड़ा जिला हो, चाहे समृद्ध जिला हो, हम सबको एक ही कसौटी पर नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से यही विचार संविधान निर्माताओं के मन में रहा होगा, जब उन्होंने अनुसूचित जाति का status, SC status देने के सम्बन्ध में उसे area specific, न केवल प्रान्त specific, मगर प्रान्त में भी area specific बना दिया। मैं जिस प्रान्त से आती हूं, वहाँ के अनुसूचित जाति की स्थिति बहुत खराब है। अन्य सदस्यगण यहाँ पर बैठे हैं, वे इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे कि देश के अन्य प्रान्तों में कई ऐसे प्रान्त हैं, जहाँ के अनुसूचित जाति की स्थिति हमारे यहाँ के लोगों से बहुत अच्छी है। अगर वही लोग, जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अपने प्रान्त

में ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, उन्हे हमारे यहाँ के लोगों के समकक्ष रख दिया जाएगा, तो हमारे यहाँ का अनुसूचित जाति का व्यक्ति उनकी तुलना में पिछड़ जाएगा। इसी कारण The principle of uniformity was not applied. इस पर आप विचार करें। Why the principle of uniformity was not applied was becasue of this reason, because the development, the standard of development in different States and in different districts of the same State is different. इसलिए सबसे कमजोर जिले में सबसे कमजोर इलाके में जो सबसे कमजोर और दबा हुआ अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसका जो interest है, उसके हित को दृष्टि में रख कर इसमें principle of uniformity नहीं रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को माना है। फिर भी जिसको अनुसूचित जाति बनाना है, जो वाकई में बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे वह कहीं भी रहता हो, अगर उसे बनाना है और उसको वे सारी सुविधाएँ देनी है, जो अनुसूचित जाति को मिलनी चाहिए, तो फिर हमारे पास पूरी ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम उसे इस सूची में सम्मिलित कर सकते हैं, और उसको वे सारी सुविधाएँ दे सकते हैं। इसलिए पिछले इतने वर्षों में हमने छः सौ से ज्यादा अनुसूचित जातियों को सम्मिलित किया है। यह वस्तुस्थिति है। आप सबने जो भी सुझाव दिए हैं, हम उन पर मंत्रालय में पूरी तरह से ध्यान देकर कार्य करेंगे और अनुसूचित जाति के हित के लिए जो भी करना होगा, उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। यह कहते हुए मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आग्रह करना चाहती हूँ कि इस बिल को पास किया जाए।

श्रीमती वृंदा कारतः सर, मैं मीरा जी से कुछ कहना चाहती हूं। Sir, this is very important.

श्री उपसभापतिः इतना डिटेल्ड रिप्लाई हुआ है, फिर भी ...**(व्यवधान)** One by one, please. *(Interruptions)*

श्रीमती वृंदा कारतः धन्यवाद, सर। मीरा जी के बहुत ही प्रभावशाली वक्तव्य के लिए मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। जिस तरह से वह दिल से बोली हैं, निश्चित रूप से इस संघर्ष में हम सभी लोग एक साथ हैं, लेकिन, सर, नमोशूद्र का जो सवाल है, मीरा जी ने उसके ऊपर दो सवाल रखे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि यह प्रदेश आधारित है, इसलिए अभी जून महीने में जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे बिल्कुल निरस्त कर दिया और कहा कि ये इस सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार ने एक बार नहीं दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो उत्तराखंड की नमोशूद्र जाति है, उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब इसके बारे में केन्द्र सरकार क्या मापदंड अपनाएगी? कम से कम उत्तराखंड के अंदर यह प्रस्ताव पारित तो हुआ है, इसलिए उसके बारे में वह क्या करेंगी? यहां पर दोहरा मापदंड तो नहीं अपनाया जा सकता है कि एक तरफ आप प्रदेश सरकार के सुझाव को मान रही हैं और दूसरी तरफ जब वे यह सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तब आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी आरजीआई ethnographic study करे। सर, इस बारे में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। यह विडम्बना की स्थिति है।

सर, दूसरी बात यह है, जैसा कि मीरा जी ने अभी कहा कि छः प्रदेशों में उसी कम्यूनिटी के लोग शैड्यूल्ड कास्ट में माने गए हैं और बाकी जगह पर, जहां उनकी मर्जी नहीं थी, केन्द्र सरकार ने जबरदस्ती उन्हें उसमें भेजा है। It is a question of a historical event, which overtook this whole subcontinent. So they were put into different States. How can it be that one part of the country recognises them as Scheduled Caste and other part does not? इसलिए सर, उसके लिए मीरा जी ने बिल्कुल मना कर दिया। मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, मीरा जी, यह नमोशूद्र का सवाल है, इसमें लाखों लोग इन्वॉल्व्ड हैं, इसलिए आप इसे जरूर देखें।

श्रीमती मीरा कुमारः मैंने इसमें मना नहीं किया है...**(व्यवधान)**

श्रीमती वृंदा कारतः लेकिन जहां हां कहा है, उसे तो आप लीजिए।

श्रीमती मीरा कुमारः उसके लिए ethnographic details चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती वृंदा कारतः यही तो बात है। जहां पर आपने मना किया, वहां पर तो मना किया ही, लेकिन जहां पर हां कहा है, वहां पर आप ethnographic details की बात कर रही हैं, जिसे वह सरकार नहीं भेज रही है। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं?

श्री उपसभापतिः उसे तो आरजीआई पूछ रहे हैं ...**(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा कुमारः नहीं, नहीं, वृंदा जी, मैं आपको बताती हूं ...**(व्यवधान)** ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी कि कोई इससे वंचित रह जाए और उस सूची में शामिल न हो, मगर इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से हम सभी बंधे हुए हैं। वह प्रक्रिया यह है कि जो राज्य सरकार है, सबसे पहले उसे अपना प्रस्ताव भेजना होता है। यह बेसिक प्रक्रिया है और मूलभूत प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है, लेकिन वह मूलभूत प्रक्रिया ही यहां उत्तराखंड में निरस्त कर दी गई है। उसके बाद होता क्या है कि वह प्रस्ताव हमारे पास आता है फिर हम उसे आरजीआई के पास भेजते हैं। आरजीआई के जो मापदंड हैं, उनके अनुसार उसे अपने आप को आश्वस्त करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें ethnographic details चाहिए। हमने इसके लिए उत्तराखंड को लिखा भी है, आप उनसे कहिए कि वे ethnographic details भेज दें, उसके बाद हमें क्या दिक्कत है? लेकिन उन्होंने यह रिपोर्ट नहीं भेजी है।

श्रीमती वृंदा कारतः मैडम, आप यह खुद ही महसूस करेंगी कि इस सरकार और उस सरकार के इस खेल में नमोशूद्र फुटबॉल बन रहे हैं, उनका क्या होगा? सर, ज़रा आप इस सरकार को यह इंस्ट्रक्शन्स तो दीजिए कि वे इसे फॉलोअप करें।

श्री उपसभापतिः मंत्री जी इसे कर रही हैं। उन्होंने जो डिटेल्स पूछे हैं, अगर वह उसे भेज दें तो ...**(व्यवधान)**

श्रीमती वृंदा कारतः वह उत्तराखंड की सरकार से फॉलोअप करें और उन पर दबाव डालें। मीरा जी, यह उस पूरी कम्यूनिटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री मतिलाल सरकार (त्रिपुरा): ये सब तो बहाने हैं ...**(व्यवधान)**

श्री उपसभापतिः अभी मैं आपको भी बुलाऊंगा, आप बैठ जाइए।

श्री गांधी आज़ादः माननीय मंत्री जी, जैसा कि अभी आपने अपने भाषण में बताया कि 1950 में अनुसूचित जाति में 660 जातियां सम्मिलित थीं, लेकिन आज लगभग दुगुनी जातियाँ इस सूची में हो गई हैं। 660 से बढ़ कर अब इसमें 1206 जातियां हो गई हैं। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति की संख्या के आधार पर हुई थी और इन जातियों के सम्मिलित होने से यह संख्या बढ़ती जा रही है। क्या इसके विषय में भी आप कोई विधेयक लाने का कष्ट करेंगी कि इस बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में, अनुसूचित जाति का आरक्षण भी उसी संख्या के अनुपात में बढ़ाया जाए? अगर विवरण है, तो उसे सदन में स्पष्ट करने का कष्ट करें और नहीं तो बताएँ क्यों?

श्री अली अनवरः सर, मीरा जी आज पूरे फॉर्म में बोली हैं। इनका उत्तर लाजवाब है। ऐसा लग रहा था कि जगजीवन बाबू बोल रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि उनके दिल के किसी कोने में दलित मुसलमानों और दलित इसाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। यह मेहरबानी

की बात नहीं है। आप ही ने सच्चर कमेटी को बनाया है, आपके प्राइम मिनिस्टर हाई पावर कमेटी ने इस मामले को रेफर किया है और जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने कहा कि यह धर्म के नाम पर भेदभाव है। मुस्लिम दलितों, दलित ईसाइयों को शैड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस नहीं देना, यह धर्म के नाम पर भेदभाव है। ...**(समय की घंटी)**... ईसाई दलितों के कब्रिस्तान अलग हैं। उनके गिरिजाघर अलग-अलग हैं। मुसलमानों में भी ऐसा है। ...**(व्यवधान)**... फिर भी उनके साथ यह भेदभाव क्यों है। जरा उनके बारे में भी तो सोचिए।

श्री अमर सिंह: उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं मीरा जी का और सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ चंद सवाल फिर से पूछना चाहूँगा। एक तो राजभर समुदाय के लिए मैंने अपनी बात उठाई थी। क्या राजभर समुदाय के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार से मना किया है, जैसे नमोशूद्र के लिए मना किया है? अगर ऐसा है, तो आप बता दें कि राजभर के लिए भी मना किया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने कहा था कि दलितों के मूवमेंट के प्रणेता, माननीय कांशी राम जी के लिए जो स्मारक बनाया गया है, इसके लिए हम स्वागत करते हैं। यह बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन आदरणीय जगजीवन राम जी के लिए कोई स्मारक नहीं बना है। मैं कहना चाहता हूँ कि वे पहले दलित आइकॉन हैं। कांग्रेस के इतने वरिष्ट नेता हैं। जगजीवन राम जी के लिए हमने जो माँग उठाई है, यह हमारी बात नहीं है, पूरे सदन की भावना है। मेरा ख्याल है कि हमारे साथियों की भी यही भावना होगी। आपका समर्थन है न? ...**(व्यवधान)**... ...**(समय की घंटी)**... तो आप जगजीवन राम जी के लिए क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं उत्तर देते हैं? अभी हमारे एक साथी ने कहा कि जमीन दे रहे हैं। हमको जगजीवन बाबू के लिए जमीन दी जाए, लेकिन कृष्ण मेनन मार्ग, जहाँ पर वे रहे, जहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया। अगर कांशीराम जी के लिए हुआ है, तो उसका बहुत स्वागत है। जगजीवन राम जी के लिए भी होना चाहिए।

श्री महेन्द्र साहनी (बिहार): माननीय उपसभापति जी, ऐसे मुद्दे मैंने उठाए थे, जिन पर कहीं से भी मंत्री जी ने कोई तर्क नहीं दिया या चाहे उसका जिक्र नहीं किया। 1912 से पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक राज्य थे। 1912 में बंगाल अलग हुआ और 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। इन दोनों राज्यों में fishermen community अनुसूचित जाति में है, लेकिन बिहार में यह क्यों नहीं है, इसका कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिल सका है।

दूसरी चीज़ बिहार सरकार ने 10-11 जातियों के लिए बार-बार रिकमेंड किया है कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, लेकिन उस सम्बन्ध में भी मंत्री जी ने कहीं से भी कोई प्रकाश नहीं डाला है। मैं आग्रह करूँगा कि इस पर उनका ध्यान जाना चाहिए।

श्री के.बी. शणप्पा: सर, मैं एक छोटा-सा क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूँ। मैंने एक बहस छेड़ी थी कि the fundamental base of reservation was the social boycott. That was the principle behind reservation. अब मैंने रिजर्वेशन के बारे में वह छेड़ा कि जब 7 जातियाँ थीं, अब वे आगे जाकर कर्णाटक में 110 हो गईं। अब आप एड करते जाएँगे, तो what is the criterion to add other castes in the Scheduled Castes community? ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: वही सवाल उन्होंने भी उठाया था। उसका जवाब मिल जाएगा।

श्री के.बी. शणप्पा: सर, मैं चाहता हूँ कि यह कास्ट का क्लैरिफिकेशन सीधा-सीधा हो। यह बहस रिलीजन के ऊपर रिजर्वेशन की नहीं है। इस अपर हाउस के लिए मैंने ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वह हो गया। गांधी आजाद जी ने भी वही उठाया था।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): आपने जैसे राजभर के बारे में बताया, वैसे ही गोंड के बारे में भी अनुसूचित जाति की दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है क्या? गोंड के बारे में? माननीय मंत्री जी बताएं।

श्रीमती मीरा कुमार: अमर सिंह जी, राजभर के लिए 6 जून, 2007 को पत्र आया है। राज्य सरकार द्वारा "भर/राजभर" को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की संस्तुति निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम रखने का निर्णय लिया गया है। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, we have to have a separate discussion on this issue in this House...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, we have to have a separate discussion on this issue in this House...*(Interruptions)*...

श्री अमर सिंह: राजभर को भी निरस्त कर दिया, नमो शूद्र को भी निरस्त कर दिया है और गोंड को भी निरस्त कर दिया?

श्रीमती मीरा कुमार: निषाद, मछुआ, केवट, मल्लाह, बीन, धीवर, धीमर, बाथम, कहार, कश्यप, तुरहा, गौड, मांझी, गोड़िया तथा चाई जातियों को भी निरस्त कर दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: यह बहुत ही खेद का विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजभर, गौड़ को निरस्त कर दिया है। यह बहुत ही दुखद है।

श्री कलराज मिश्र: यह बहुत ही दुखद है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती वृंदा कारत: सर, यह कैसे हो सकता है? ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: इस पर separate discussion होना चाहिए। मैं वृंदा कारत जी से सहमत हूं। यह राजभर के साथ, गौड के साथ, नमो शूद्र के साथ, मछुआरों के साथ अन्याय है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: यह विषय आप को यू.पी. एसेंबली में उठाना है, यहां नहीं। Brindaji, this issue is to be raised in the Uttar Pradesh Assembly...*(Interruptions)*

श्रीमती वृंदा कारत: सब का नाम काट दिया है।

श्री उपसभापति: यह सदन क्या करेगा?

श्री अमर सिंह: यह क्या है? यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। इस में हम सब को शामिल होना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This matter is to be raised in the Uttar Pradesh Assembly, not here. आप इसे उत्तर प्रदेश में उठाइए। यह रिकमंड करने का अधिकार उन्हें है। ...**(व्यवधान)**... देखिए, वृंदा जी ...**(व्यवधान)**... मिस्टर पाणि, आप बैठिए। अली अनवर जी, अभी वह आप को क्लैरीफिकेशन देंगे।

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, there is a constitutional provision...*(Interruptions...)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What I feel is that this is a recommendation which has come from the U.P. Government. The hon. Minister has explained the procedure for including the castes. The procedure is, the recommendation should come from the State Government. Now, instead of protesting against this issue here, you raise a protest against it in the U.P. Assembly.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I want to raise a small point. Sir, I fully appreciate what you have said, and what the hon. Minister has explained that there is a set procedure. My point is, there is also a set procedure in parliamentary proceedings in which the issues of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are raised in this House because they have national implications to the Constitution. Now, if there is such an issue which has come, I have raised a very legitimate problem of the Namosudras, the Minister has replied to it. Then she has also gone further to list out a whole list of castes who are not going to be included in Uttar Pradesh, whereas, they are in other States. Therefore, there is a contradiction here in the functioning of the constitutional provisions for affirmative action for those who belong to the Scheduled Caste. Therefore, I am requesting you, Sir, to kindly allot some time for a separate discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You give a notice. We will give time according to rules...*(Interruptions)* I appreciate that.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, something has come up as a part of the discussion in this House, and the issues of dalit Muslims and dalit Christians also, they are very crucial issues. So, as a part of the process of the discussion today, you allocate time for it...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: For a separate discussion on this particular issue, you give a separate notice.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Then, you give time for it, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You give a notice.

SHRIMATI BRINDA KARAT: You instruct the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You give a notice.

SHRIMATI BRINDA KARAT: That is usually done by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, no.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, it always happens in the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair will definitely consider if you give a notice. There is no notice. You give notice for having a separate discussion on this issue. ...*(Interruptions)*...

श्री अली अनवर: सर, बिहार विधान सभा ने, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने प्रस्ताव पास करके दलित मुसलमानों के बारे में जो आपको भेजा है, उसके बारे में मंत्री महोदया कुछ नहीं बोल रही हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी को राजभर और गोड़ का मत नहीं चाहिए? ...**(व्यवधान)**... क्या राजभर और गोड़ मतदाता नहीं है?...**(व्यवधान)**

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, there is an error...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Seelam, you have not participated but you are seeking clarifications!

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, there is an error in the Statement of Objects and Reasons of the Bill. ...*(Interruptions)*... Sir, there is an error which I am pointing out.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What error?

SHRI JESUDASU SEELAM: There is an error. It is stated: "The proposed amendments in the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2006 broadly fall under the following categories, namely, inclusion of new castes based on social, educational and economic backwardness." Sir, in respect of Scheduled Castes, this term 'economic backwardness' has not been there in the Constitution. It is, I think, strictly put in to create so much unrest. I request that that should not form part of the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That should be taken note of.

SHRI JESUDASU SEELAM: That should be deleted, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2006 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for half-an-hour.

The House then adjourned at thirty-three minutes past three of the clock.

The House reassembled at seven minutes past four of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chiar.

SHORT DURATION DISCUSSION

Heavey floods in various parts of the country and the relief measures undertaken by the Government

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आए हुए संकट के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए अत्यधिक धन्यवाद। मान्यवर, इस सत्र में प्रति वर्ष बाढ़ पर चर्चा होती है और इतना ही नहीं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जो हमेशा आती हैं – बाढ़, सूखा, भूकंप, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन, ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो आम आदमी के जीवन को त्रस्त करती हैं, इनसे हजारों–करोड़ों रुपयों की क्षति होती है, सैकड़ों–हज़ारों जानें जाती हैं, पशुओं की क्षति होती है, फसलों की क्षति होती है और लोग इनसे जूझते हैं। इस वर्ष भी भारत के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ का प्रकोप दिखाई